Final PS Jul-Dec'23_feb'11 pror shiksha.qxd 11/21/2023 12:31 PM Page I

वर्ष 67 अंक 2

ISSN 2231-2439
जुलाई-दिसंबर 2023

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

Final PS Jul-Dec'23_feb'11 pror shiksha.qxd 11/21/2023 12:31 PM Page II

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरंतर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है।

डॉ. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है। संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र–पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हेतु संघ की पहल पर प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाईफलॉंग एजूकेशन) की स्थापना हुई। संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजूकेशन एसोसिएशन्स', एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक एसोसिएशन फॉर बेसिक एण्ड एडल्ट एजूकेशन', 'इण्टरनेशनल कौंसिल आफ एडल्ट एजूकेशन' तथा 'इण्टरनेशनल लिटरेसी ऐसोसिएशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं और इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

17–बी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110002

दूरभाषः 011–43489048

ई–मेलः directoriaea@gmail.com, iaeadelhi@gmail.com

website: www.iaea-india.in; www.iiale.org

प्रौढ़ शिक्षा

जुलाई–दिसंबर 2023
वर्ष 67 अंक 2

सम्पादक मण्डल

डा. सरोज गर्ग
श्री मृणाल पंत
श्री ए.एच.खान
श्री राजेन्द्र जोशी
सुश्री निशात फारूख

सम्पादक
सुरेश खण्डेलवाल

सहायक सम्पादक
बी. संजय

इस अंक में

सम्पादकीय	2
अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण – मनोज कुमार – चित्ररेखा	4
मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन – शैलजा मिश्रा – वसीम अख्तर	13
प्रौढ़ शिक्षा के विकास के उभरते नए आयाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में – प्रिया जौहरी	22
स्वातंत्रयोत्तर भारत में मानवाधिकार की उपलब्धियाँ – मिथिलेश कुमार	32
मास मीडिया और वर्तमान युग में इसकी आवश्यकता – रूपाली गुप्ता	42
चिंता महिलाओं के स्वास्थ्य की – सुविज्ञा जैन	45

मूल्यः 200 रूपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनसे संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

सम्पादकीय

एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट - 2023

25 से 27 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में सर्वसम्मति से एसडीजी 2030 को लागू करने की घोषणा की गई थी। एक बेहतर विश्व के लिए विकासात्मक गतिविधियों को दिशा देने का यह दुनिया का सबसे बड़ा सुनियोजित प्रयास है जिसके तहत 169 सुनिश्चित लक्ष्यों के समुच्य के रूप में 17 प्रमुख एसडीजी गोल्स सन् 2030 तक हासिल किये जाने हैं। सन् 2015 से 2023 अर्थात लगभग 8 वर्ष बीत जाने के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अभी हाल ही में एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी किया है। 140 लक्ष्यों को केंद्र में रखकर किये गये इस मूल्यांकन से यह ज्ञात होता है कि मात्र 12 प्रतिशत लक्ष्यों के मामले में ही प्रगति आशानुरूप है। अन्य 50 प्रतिशत लक्ष्य प्रगति की ओर तो हैं पर वे अपेक्षित समय सीमा से पीछे या बहुत पीछे चल रहे हैं। 30 प्रतिशत लक्ष्यों के मामले में रिपोर्ट निराशाजनक है क्योंकि या तो इन मामलों में कोई प्रगति हुई ही नहीं है या स्थिति पहले से भी खराब हो गयी है। वैश्विक स्तर पर देखा जाय तो दो मामलों में स्थिति चितांजनक है – पहला गरीबी–भुखमरी और दूसरा लैंगिक असमानता।

एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट कहता है कि लगभग दुनिया की आधी आबादी के बराबर संसाधन और धन–दौलत मात्र 26 लोगों के पास है। ऐसे में गरीबी का व्याप बढ़ा है और वर्तमान में लगभग 575 मिलियन लोग अर्थात विश्व की कुल आबादी के 7 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। कोविड–19 से उत्पन्न महामारी, रूस और यूक्रेन तथा हाल ही में शुरू इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के युद्ध ने इस पर गरीबी में आटा गीला करने जैसा कार्य किया है। महिला एवं पुरूष के बीच समानता की ओर देखा जाय तो तमाम प्रयासों, घोषणाओं एवं वकालतों के बाद भी लैंगिक समानता का लक्ष्य क्रमशः दूर होता दिख रहा है। इस दिशा में हो रही प्रगति की गति यदि वैसी ही रही जैसी कि आज है तो एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार विश्व को लैंगिक समानता का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगभग 286 वर्षों तक इंतजार करना होगा। स्पष्ट है कि लैंगिक असमानता की जड़ें बहुत गहरी हैं जिससे मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक सभी तलों पर बेहतर रणनीति के साथ लगातार कार्य करना होगा।

विदित है कि वर्ष 2023 के लिए इकॉनॉमिक साइंस के क्षेत्र में हार्वड विश्वविद्यालय के कलाउडिया गोल्डिन को प्रदत्त नोबल पुरस्कार लैंगिक असमानता की जड़ों को तलाशने पर किये गये उनके उल्लेखनीय शोध कार्य के लिए ही प्रदान किया गया है। गोल्डिन ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पर शोध करते हुए लगभग 200 वर्षों की अमेरिकी इतिहास को खंघालने का सफल प्रयास किया है और यह पाया है कि कृषि एवं कुटीर उद्योग के दौर में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की गुंजाइश कहीं अधिक थी। गोल्डिन ने पाया है कि औद्योगिकीकरण ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के समक्ष अप्रत्याशित चुनौती खड़ी की क्योंकि फैक्ट्री आधारित उद्योग में भागीदारी के लिए महिलाओं का घर से बाहर निकलना जरूरी था।

वहीं अर्थव्यवस्था के सेवा आधारित क्षेत्र ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। यद्यपि गोल्डिन का यह शोध अमेरिका पर आधारित है पर शेष दुनिया के लिए भी यह उतनी ही प्रासंगिक है।

बहरहाल एसडीजी लक्ष्यों को साधने के लिए वैश्विक स्तर पर चल रहे प्रयासों को तीव्र से तीव्रतर करने की कोशिशें जारी हैं। इस दिशा में भारत की अध्यक्षता में हुई जी–20 की बैठक एवं इसकी उपलब्धियों का उल्लेख करना समीचीन होगा। विश्व में आर्थिक सहयोग के इस प्रमुखतम मंच द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृत दिल्ली घोषणा पत्र में यह ऐलान किया गया है कि जी–20 देशों के द्वारा सामूहिकरूप से विकासशील देशों को आवश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा ताकि ये देश भी एसडीजी लक्ष्यों को समय से प्राप्त कर सकें। यह निर्णय भी लिया गया है कि डिजिटल डिवाइड दूर करने के लिए विकास हेतु आंकड़े (डाटा फॉर डेवलेपमेंट) प्रदान करने के लिए दक्षता निर्माण की कोशिश की जाएगी, एसडीजी उपलब्धियों के लिए उत्प्रेरक के तौर पर पर्यटन से संबंधित गोवा रोडमैप को लागू किया जाएगा तथा एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आने वाले आर्थिक खाई को पाटने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाऐगा।

जी–20 ने लैंगिक असमानता की खाई को पाटने पर विशेष बल देते हुए महिला केन्द्रित विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है ताकि निर्णय लेने एवं वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में महिलाओं की अपेक्षित भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। कार्यबल में महिला भागीदारी को बढ़ाने के लिए ब्रिसबेन लक्ष्य को पूरा करने की बात कही गयी है जिसके अनुसार पुरूष एवं महिला कार्यबल के अंतर को वर्ष 2025 तक 25 प्रतिशत तक कम करने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। साथ हीं साथ समान पद एवं कार्य के लिए महिलाओं को समान वेतन देने, शिक्षा के सभी स्तरों में उसकी पहुंच सुनिश्चित करने, लैंगिक हिंसा के सभी प्रकारों को रोकने तथा आर्थिक सहित हर संसाधन तक उसकी पहुंच बढ़ाने की बात कही गयी है। महिलाओं को आहार, पोषण एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रणनीति बनाने तथा डिजिटल इकॉनामी में महिला सशक्तिकरण करने के प्रयासों को सुदृढ़ करने की बात भी प्रमुखता से रेखांकित की गई है। अंततः जी–20 द्वारा महिला सशक्तिकरण पर एक महिला कार्य समिति के गठन को स्वीकृत किया गया है ताकि यह समिति जी–20 महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिसकी पहली बैठक ब्राजील में होने वाली है, को अपेक्षित सहयोग प्रदान कर सके।

– बी. संजय

अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण

– मनोज कुमार
– चित्ररेखा

"21वीं सदी में महिलाओं और लड़कियों को उनके लिंग के कारण विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में दरकिनार किया जा रहा है। महिलाओं को यह जानने की जरूरत है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में उनका महत्वपूर्ण स्थान है और उन्हें वैज्ञानिक प्रगति में भाग लेने का अधिकार है"

– ऑड्रे अज़ोले, यूनेस्को महानिदेशक

अनुसंधान एवं विकास में महिला सशक्तिकरण

अनुसंधान एवं विकास में महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं को वैज्ञानिक, तकनीकी और नवीन प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेने, योगदान करने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए समान अवसर, संसाधन और समर्थन उपलब्ध करने की प्रक्रिया से है।

लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण ने अनुसंधान और विकास सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। हाल के दशकों में, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी काफी हद तक बढ़ी है। इसके बावजूद भी लैंगिक असमानताएं यथावत बनी हुई हैं। विशेष रूप से नेतृत्व की भूमिकाओं और पारंपरिक रूप से पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में यह असमानता और अधिक देखने को मिलती हैं।

यूनेस्को की विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार इंजीनियरिंग स्नातकों में अभी भी महिलाएं केवल 28 प्रतिशत और कंप्यूटर विज्ञान तथा सूचना विज्ञान स्नातकों में 40 प्रतिशत हैं। डिजिटऑल : इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी रिपोर्ट – 2023 के अुनसार आज भी 37 प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करती हैं। भले ही दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इंटरनेट तक पहुंच की बात की जाय तो पुरुषों की तुलना में लगभग 259 मिलियन कम महिलाओं की इंटरनेट तक पहुंच है।

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 में कहा गया है कि 2050 तक 75 प्रतिशत नौकरियां विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों से संबंधित होंगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में केवल 22 प्रतिशत पद महिलाओं के पास हैं। 2022 जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट 51 देशों के एक अध्ययन के बाद आई है जिसमें पता चला है कि 38 प्रतिशत महिलाओं ने व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन हिंसा का अनुभव किया है जो कि समाज के विकास के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। यदि हम भारत के संदर्भ मे देखें तो वर्ष

2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत है। ये आंकड़े हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र के साथ–साथ अनुसंधान के क्षेत्र में सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

अनुसंधान एवं विकास में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों?

किसी भी देश व समाज का समावेशी विकास करने के लिए आवश्यक है कि उस देश के विकास और अनुसंधान में देश की आधी आबादी अर्थात महिलाओं और लड़कियों की भी सक्रिय सहभागिता संभव हो। अनुसंधान और विकास में महिला सशक्तिकरण निम्न कारणों से आवश्यक हैः

- **वैज्ञानिकता, नवाचार और रचनात्मकता** : समस्या–समाधान अधिक नवीन और रचनात्मक तरीके से हो सके इसमें दृष्टिकोण में विविधता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। महिलाओं व लड़कियों में पुरुषों से इतर एक अद्वितीय दृष्टिकोण, अनुभव और अंतर्दृष्टि होती है जो उन्हें अनुसंधान एवं विकास में नए दृष्टिकोण और समाधान की खोज की ओर ले जा सकती है। महिलाओं की भागीदारी विज्ञान और ज्ञान सहित अन्य सभी विषयों की उन्नति में सार्थक योगदान देती है। अनुसंधान एवं विकास में विविध आवाजों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने से जटिल घटनाओं की अधिक व्यापक समझ पैदा हो सकती है।
- **अप्रयुक्त क्षमता** : अनुसंधान एवं विकास में महिलाओं को सशक्त बनाकर, समाज अपने अप्रयुक्त क्षमता का एक विशाल संसाधन के रूप में उपयोग कर सकता है। यदि महिलाओं को समान अवसर दिए जाते हैं, तो उनकी प्रतिभा और कौशल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।
- **आर्थिक विकास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा** : अनुसंधान एवं विकास में महिलाओं की भागीदारी एक बड़े और अधिक कुशल कार्यबल को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। तेजी से बदलते तकनीकी परिदृश्य में, विविध अनुसंधान टीमें अत्याधुनिक समाधान विकसित कर सकें और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाए रख सकें इसके लिए महिलाएं बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। आवश्यकता उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त कर उनकी भागीदारी बढ़ाने की है।
- **सामाजिक चुनौतियों को संबोधित करना** : स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक समानता से संबंधित चुनौतियों सहित समाज के सामने आने वाली विविध चुनौतियों का समाधान करने के लिए अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाना आवश्यक है। विकास हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित हो सके इसके लिए जनसंख्या के सभी वर्गों से अंतर्दृष्टि प्राप्त की जाने की आवश्यकता होती है।
- **रोल मॉडल और प्रेरणा** : अनुसंधान एवं विकास में दृश्यमान महिला एक रोल मॉडल के रूप में युवा लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। महिलाओं की सफलता की कहानियाँ जैसे कल्पना चावला

और चंद्रयान–3 में अहम भूमिका निभाने वाली डॉ. रीतू कारिधाल श्रीवास्तव जिन्हें भारत की रॉकेट वुमन के नाम से भी जाना जाता है, तमाम प्रकार के रूढ़िवादिता को चुनौती देती हैं और उदाहरण देती हैं कि महिलाएं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या–क्या हासिल कर सकती हैं। उनकी सफलता की कहानियाँ पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और रूढ़ियों को चुनौती देती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देती हैं।

- **उन्नत अनुसंधान गुणवत्ता व बेहतर समस्या की पहचान** : अलग–अलग परिस्थितियों के समक्ष खड़े विविध समूहों में समस्याओं और अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला की पहचान करने की अधिक संभावना होती हैं। यहां अनुसंधान विविध दृष्टिकोणों से लाभान्वित होता है, जिससे अधिक व्यापक और सटीक परिणाम मिलते हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करने से संभावित पूर्वाग्रहों की पहचान करने में भी मदद मिलती है और अनुसंधान परिणाम भी अधिक अच्छी तरह से सुनिश्चित होते हैं।
- **वैश्विक विकास लक्ष्य** : कई संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने से महिला सशक्तिकरण का अत्यंत निकट का संबंध है, जिसमें लैंगिक समानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सभ्य कार्य और असमानताओं में कमी शामिल है। सहयोगात्मक अनुसंधान प्रयासों से विविध टीमों को लाभ मिलता है, जो साझा चुनौतियों से निपटने में अंतर–सांस्कृतिक समझ और वैश्विक सहयोग की सुविधा प्रदान कर सकता है।
- **समानता और सामाजिक न्याय** : अनुसंधान एवं विकास में महिलाओं को सशक्त बनाना लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। यह संसाधनों, अवसरों और निर्णय लेने की शक्ति तक पहुंच में असमानताओं को कम करता है। महिलाओं का इनपुट उन नीतियों, प्रौद्योगिकियों और समाधानों के विकास में महत्वपूर्ण है जो संपूर्ण आबादी की जरूरतों के लिए समावेशी और उत्तरदायी हैं। इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाने, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की प्रगति में सार्थक योगदान देने, सतत विकास हासिल करने, समावेशिता को बढ़ावा देने, अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण नितांत आवश्यक है।

अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के समक्ष मुख्य बाधाएँ

यह हमारे समाज के लिए बड़ी ही विडंबना है कि सब कुछ जानते और समझते हुए भी अनुसंधान और विकास में महिला सशक्तिकरण को अक्सर कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनकी भागीदारी, उन्नति और योगदान में बाधा बन सकती हैं। ये बाधाएँ सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रणालीगत और व्यक्तिगत कारकों के संयोजन से आकार लेती हैं। जैसे :

- **लिंग रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह** : रूढ़िवादिता जो अनुसंधान के कुछ क्षेत्रों को पुरुष क्षमता और अन्य को महिला उपयुक्तता से जोड़ती है, महिलाओं की पसंद और अवसरों को सीमित कर देती हैं। अंतर्निहित पूर्वाग्रह और लैंगिक रूढ़ियाँ भी मूल्यांकन और पदोन्नति

प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। यह कई रूपों में देखी जा सकती है जैसे – अचेतन स्व–रूढ़िवादिता। ऐसा तब होता है जब कई बार महिलाएं स्वयं लैंगिक रूढ़िवादिता को आत्मसात कर लेती हैं और मानती हैं कि वे कुछ भूमिकाओं या अवसरों के लिए कम उपयुक्त हैं, जिससे उनकी अपनी आकांक्षाएं सीमित हो जाती हैं।

- **कलंक और पूर्वाग्रह :** विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को बड़े पैमाने पर सहकर्मियों या समाज द्वारा मढ़े गये कलंक या पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, जिससे वे अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के प्रति हतोत्साहित हो जाती हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में महिलाओं की क्षमताओं के बारे में नकारात्मक रूढ़िवादिता की पुष्टि करने के डर से चिंता और प्रदर्शन में कमी आ सकती है।
- **शिक्षा की सुविधाओं व अवसरों में कमी :** महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा ग्रहण करने के पर्याप्त अवसर भी नहीं मिल पाते। यह समस्या भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में और भी अधिक है। जहां महिलाओं व लड़कियों को शिक्षा के अवसर नहीं मिल पाते। ऐसे में शिक्षा की व्यवस्था के बिना अनुसंधान के क्षेत्र में उनका योगदान एक कोरी कल्पना ही है।
- **प्रतिनिधित्व का अभाव :** नेतृत्व पदों, अनुसंधान टीमों और शिक्षा जगत में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व इच्छुक महिला शोधकर्ताओं के लिए रोल मॉडल और सलाहकारों की उपलब्धता को सीमित कर देता है।
- **कार्य–जीवन संतुलन चुनौतियाँ :** अनुसंधान कैरियर में संलग्न महिलाओं की दैनिक जीवन की चुनौतियों की प्रकृति, देखभाल की जिम्मेदारियों के संबंध में सामाजिक अपेक्षाओं के साथ मिलकर, कार्य–जीवन संतुलन बनाए रखने को अत्यंत कठिन बना देती हैं। सामाजिक मानदंड अक्सर महिलाओं पर परिवार के देखभाल की जिम्मेदारियों का भारी बोझ डालते हैं, जिससे अनुसंधान गतिविधियों के लिए समय और ऊर्जा समर्पित करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
- **भेदभाव और उत्पीड़न :** महिलाओं को भेदभाव, उत्पीड़न और प्रतिकूल कार्य वातावरण का सामना करना पड़ता है, जो न केवल उनके विकास को प्रभावित करता है बल्कि उन्हें अनुसंधान में कैरियर बनाने से भी रोकता है। पुरुष मानदंडों और व्यवहारों पर हावी कार्य–संस्कृति महिलाओं के लिए असुविधा पैदा करती है, जिससे उनके अपनेपन और आत्मविश्वास की भावना प्रभावित हो सकती है।
- **नेटवर्किंग व संसाधनों के अवसरों की कमी :** महिलाओं के पास सहकर्मियों और अन्य सहयोगियों के साथ नेटवर्क बनाने और संबंध स्थापित करने के कम अवसर पाए जाते हैं, जो संसाधनों और अवसरों तक उनकी पहुंच को प्रभावित कर सकते हैं। महिलाओं को अपने काम के लिए आवश्यक अनुसंधान निधि, सुविधाओं, उपकरणों और अन्य संसाधनों तक पहुंचने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- **मेंटर्स और प्रायोजकों तक सीमित पहुंच :** मेंटर्स जो मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, कैरियर में उन्नति की वकालत कर सकते हैं और अवसरों के लिए दरवाजे खोल सकते हैं उपलब्ध न होने पर महिलाओं की प्रगति में बाधा बन जाते हैं।

अनुसंधान एवं विकास में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत के बहुमुखी प्रयास

विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं जैसे :

1. **किरण (पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान की भागीदारी) योजना :** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा शुरू की गई, इस योजना का उद्देश्य महिला वैज्ञानिकों को अनुसंधान और विकास गतिविधियों में शामिल होने के अवसर प्रदान करना है। इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता के लिए "किरण आईपीआर" और महिला शोधकर्ताओं को उनके कैरियर ब्रेक के दौरान आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए "किरण–आईपीआर महिला फैलोशिप" जैसे घटक शामिल हैं।
2. **जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (गति) महिला वैज्ञानिक योजना (डब्लू ओ एस):** भारत में महिलाओं को प्रणालीगत बाधाओं और संरचनात्मक कारकों के कारण शैक्षणिक और प्रशासनिक सीढ़ी पर आगे बढ़ने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में विभिन्न संस्थानों में विभिन्न नीतियां और सक्षम वातावरण मौजूद हैं लेकिन लिंग अंतर को पाटने के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण या मार्गदर्शक सिद्धांतों का अभी भी अभाव है। डी एस टी, डब्ल्यू ओ एस और जी ए टी आई महिला वैज्ञानिकों को अनुसंधान परियोजनाओं, गतिशीलता अनुदान और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
3. **विज्ञान ज्योति :** इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है – (1) प्रारंभिक चरण से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न धाराओं में लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना (2) लड़कियों को स्कूल स्तर से विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक अनुकूल और सक्षम वातावरण प्रदान करना जो कॉलेज स्तर तक और अनुसंधान स्तर से नौकरी स्तर तक जाता है (3) यूजी स्तर पर एसटीईएम के कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में लड़कियों के अनुपात को बढ़ाना और लैंगिक समानता सुनिश्चित करना। यह कार्यक्रम क्रमिक स्तरों (यूजी, पीजी,) पर एसटीईएम में लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए एक फीडर के रूप में कार्य करेगा।
4. **राष्ट्रीय बायो–फार्मा मिशन (एन बी एम) :** एन बी एम का उद्देश्य बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं और उद्यमियों के लिए अवसर प्रदान करना है। इसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और अनुसंधान परियोजनाओं का समर्थन करने की पहल शामिल है।

5. **विज्ञान में महिला (डब्लू आई एस) कार्यक्रम** : भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आई एन एस ए) ने उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिकों को समर्थन और मान्यता देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें पुरस्कार, फ़ेलोशिप और कार्यशालाएँ शामिल हैं।
6. **राष्ट्रीय महिला कोष (आर एम के)** : आर एम के अनुसंधान और नवाचार सहित विभिन्न उद्यमशीलता और व्यावसायिक उद्यमों के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता और माइक्रोक्रेडिट सुविधाएं प्रदान करता है।
7. **कार्यशालाएं, सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम** : भारत में विभिन्न संगठन, अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालय महिला शोधकर्ताओं को सशक्त बनाने, उनके कौशल में सुधार करने और नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएँ, सम्मेलन और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं।
8. **लिंग संवेदीकरण और जागरूकता कार्यक्रम** : कई संस्थानों ने लिंग पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अनुसंधान एवं विकास में महिलाओं के लिए अधिक समावेशी वातावरण बनाने के लिए लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किए हैं।
9. **नेतृत्व और परामर्श कार्यक्रम** : संस्थानों और संगठनों ने महिला शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए परामर्श कार्यक्रम स्थापित किए हैं। ये कार्यक्रम महिलाओं को अपने कैरियर को आगे बढ़ाने, नेटवर्क बनाने और संसाधनों तक पहुंचने में मदद करते हैं।
10. **अनुसंधान संस्थान** : कई शोध संस्थान महिला शोधकर्ताओं के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें लचीली कार्य व्यवस्था प्रदान करना, लैंगिक पूर्वाग्रह के मुद्दों का समाधान करना और कैरियर विकास के लिए संसाधन प्रदान करना शामिल है।
11. **लैंगिक सद्भाव पर टी आई एफ आर समिति** : संस्थान में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने में मदद करना, महिलाओं को सम्मान और आश्वासन के साथ अपना काम करने में सक्षम बनाना। समिति लैंगिक समानता के मुद्दों पर समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

अन्य सुझाव

अनुसंधान विकास में महिला सशक्तिकरण के लिए कई और कदम भी उठाए जा सकते हैं जो निम्नलिखित प्रकार हैं :

- **प्रतिनिधित्व और दृश्यता** : अनुसंधान एवं विकास के सभी स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इसमें पुरस्कारों, सम्मेलनों और प्रकाशनों के माध्यम से महिला वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं की उपलब्धियों को बढ़ावा देना और मान्यता देना शामिल है। दृश्यमान रोल मॉडल युवा पीढ़ी को एसटीईएम में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

- **समान अवसर** : महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के समान अवसरों तक पहुंच मिलनी चाहिए। इसमें फंडिंग, अनुदान, छात्रवृत्ति और नेतृत्व पदों तक पहुंच शामिल है। चयन प्रक्रियाओं से पूर्वाग्रहों को दूर करना और योग्यता–आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- **शिक्षा और आउटरीच** : लड़कियों और युवा महिलाओं को एसटीईएम क्षेत्रों में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करना शिक्षा और आउटरीच कार्यक्रमों से शुरू होता है। इन कार्यक्रमों में इंटरैक्टिव कार्यशालाएं, परामर्श पहल और एसटीईएम अवधारणाओं के वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों से परिचित होना शामिल हो सकता है।
- **सहायक कार्य वातावरण** : एक समावेशी और सहायक कार्य वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। इसमें कार्यस्थल पर उत्पीड़न और भेदभाव जैसे मुद्दों को संबोधित करना, कार्य–जीवन संतुलन को बढ़ावा देना और देखभाल की जिम्मेदारियों को समायोजित करने के लिए परिवार–अनुकूल नीतियों की पेशकश करना शामिल है।
- **नेटवर्किंग और मेंटरशिप** : नेटवर्क बनाने और मेंटरशिप के अवसरों से महिलाओं को अनुसंधान एवं विकास में काफी लाभ हो सकता है। मेंटरशिप मार्गदर्शन, कैरियर सलाह और कनेक्शन प्रदान करती है जो महिलाओं को अपने कैरियर को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है।
- **अनुसंधान निधि** : यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि अनुसंधान निधि का आवंटन समान रूप से किया जाए। महिलाओं के नेतृत्व वाले अनुसंधान प्रस्तावों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उन पूर्वाग्रहों का सामना नहीं करना चाहिए जो धन प्राप्त करने की उनकी संभावनाओं में बाधा बन सकते हैं।
- **विविध अनुसंधान समूह** : विविध अनुसंधान समूह विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण और अनुभव लेकर आते हैं, जिससे अधिक नवीन और प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि के शोधकर्ताओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने से रचनात्मकता और समस्या–समाधान को बढ़ावा मिलता है।
- **कार्यस्थल नीतियां** : कंपनियों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के पास लैंगिक भेदभाव और उत्पीड़न को रोकने और संबोधित करने के लिए नीतियां होनी चाहिए। पारदर्शी रिपोर्टिंग तंत्र सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं।
- **डेटा संग्रह और विश्लेषण** : अनुसंधान एवं विकास क्षेत्रों में लिंग–विभाजित डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने से उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जहां लिंग असमानताएं मौजूद हैं और समय के साथ प्रगति को ट्रैक किया जा सकता है।
- **वकालत और नीति परिवर्तन** : वकालत के प्रयासों से नीतियों और विनियमों में बदलाव हो सकता है जो अनुसंधान एवं विकास में लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं। इसमें समान वेतन, पारिवारिक अवकाश नीतियों की वकालत और महिलाओं के नेतृत्व वाली अनुसंधान पहलों के लिए समर्थन शामिल है।

- **चुनौतीपूर्ण रूढ़िवादिता** : एसटीईएम में लिंग भूमिकाओं और क्षमताओं के बारे में रूढ़िवादिता को चुनौती देना आवश्यक है। इसमें मीडिया में महिलाओं के सकारात्मक चित्रण को बढ़ावा देना और अचेतन पूर्वाग्रहों को संबोधित करना शामिल हो सकता है।
- **दीर्घकालिक प्रतिबद्धता** : अनुसंधान एवं विकास में महिला सशक्तिकरण हासिल करना एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है जिसके लिए सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और पेशेवर समाजों सहित विभिन्न हितधारकों से निरंतर प्रयासों की अपेक्षा होती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** : अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और पहलों के साथ सहयोग अनुसंधान एवं विकास में महिला सशक्तिकरण से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों और संसाधनों को साझा करने में मदद करता है।
- **सोशल मीडिया और आउटरीच** : सोशल मीडिया अभियान और सार्वजनिक आउटरीच प्रयासों का उपयोग महिला वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को उजागर करने और रोल मॉडल के रूप में उनकी दृश्यता को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।
- **समावेशी नवाचार** : यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं कि नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास समावेशी हो और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाली जरूरतों और चुनौतियों का समाधान हो।
- **केस स्टडी एवं उदाहरण** : केस स्टडी और जीवंत उदाहरणों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए, हम यह दिखा सकते हैं कि कैसे इन रणनीतियों ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने, काम के माहौल में सुधार और अनुसंधान एवं विकास में नवाचार में योगदान बढ़ाने में योगदान दिया है।

निष्कर्ष :

अनुसंधान और विकास में महिलाओं का सशक्तिकरण वैज्ञानिक, तकनीकी और नवीन क्षेत्रों में प्रगति हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह के सशक्तिकरण का महत्व बहुआयामी है और इसका सतत विकास, सामाजिक उन्नति और अनुसंधान परिणामों की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अनुसंधान एवं विकास में महिला सशक्तिकरण नवाचार, प्रगति और समानता को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण इंजन है। महिला वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं की क्षमता का उपयोग वैज्ञानिक उन्नति और सामाजिक सुधार के परिदृश्य को नया आकार देने का वादा करता है। नीतिगत परिवर्तन, परामर्श कार्यक्रम और लिंग संवेदीकरण सहित ठोस प्रयासों के माध्यम से, महिलाओं की भागीदारी में बाधा डालने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है, जिससे एक ऐसे भविष्य की शुरुआत हो सकती है जहां विविधता वास्तव में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में पनपती है।

संदर्भ

1. DST KIRAN Scheme https://dst.gov.in/pressrelease/kiran-scheme-dst-lights-st-paths-thousands
2. DST Women Scientist Scheme https://dst.gov.in/scientific-programmes/scientific-engineering-research/women-scientists-programs
3. Gender Cell at TIFR https://www.tifr.res.in/~womencell/index.html
4. Indian National Science Academy (INSA) https://insaindia.res.in/
5. National Bio-pharma Mission https://www.indiascienceandtechnology.gov.in/st-visions/national-mission/national-biopharma-mission-nbm
6. Rashtriya Mahila Kosh https://diligentias.com/rashtriya-mahila-kosh-objectives-significances-diligent-ias/
7. The Global Gender Gap Report 2018 https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
8. United Nations International Women's Day 8 March https://www.un.org/en/observances/womens-day
9. Vigyan Jyoti Program https://www.vigyanjyoti.com
10. Women in Science and Engineering Conference https://waset.org/women-in-science-engineering-and-technology-conference
11. https://www.unesco.org/en/articles/unesco-research-shows-women-career-scientists-still-face-gender-bias
12. https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/Progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2022 -
13. https://www.mapsofindia.com/census2011/literacy-rate.html

❍❍❍❍❍

"उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है।"

— **रविन्द्रनाथ टैगोर**

मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन

– शैलजा मिश्रा
– वसीम अख्तर

Abstract

This research paper was intended to assess attitude of students and teachers of Madarsas towards their institution. The study was conducted to explore the difference in rular and urban areas students and teachers. The data were collected on the basis of standardized inventory hand made tool by Dr.Shailja Mishra and Vasim Akhtar. Through random sampling, 100 students and 100 teachers were selected from Madarsas of town Faridpur (Bareilly). The testing of hypotheses was done by comparing the mean scores of two groups using "t" test.

The result showed some groups (Ho:1, Ho:2, Ho:3, Ho:4, Ho:5 and Ho:6) did not show significant difference in attitude towards Madarsas, while one group (Ho:4) showed significance difference in attitude towards Madarsas.

आधुनिक युग, वैज्ञानिक युग कहलाता है और इस युग में कोई भी समाज या वर्ग तरक्की से अछूता नहीं रहा है। अतः आज व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए आवश्यक हो गया है कि मदरसा शिक्षा कार्यक्रम प्रणाली में विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, अंग्रेजी तथा तकनीकी विषयों को अनिवार्य रूप से शामिल करके मदरसा शिक्षण प्रणाली को अधिक सक्षम और लाभकारी बनाया जाए। मुस्लिम समाज में व्याप्त पिछड़ापन मदरसा शिक्षण प्रणाली के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को बार–बार रेखांकित कर रहा है। विश्वस्तरीय प्रतियोगिता के युग में यह आवश्यक हो गया है कि छात्र स्कूली स्तर अथवा मदरसा स्तर पर ही सही शिक्षा पाकर अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत हो अन्यथा वह इस प्रतियोगात्मक युग में अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। तकनीकी शिक्षण की योजना को मदरसा स्तर पर ही आरंभ कर देना चाहिए और उसके अनुरूप ही प्रयास भी करना चाहिए। इससे छात्र का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर रहेगा और ये तभी संभव है जब मदरसों में आधुनिकीकरण का कार्यक्रम लागू हो। इसी नजरिए को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने यह जानने की आवश्यकता का अध्ययन किया है कि मदरसा आधुनिकीकरण से छात्रों एवं शिक्षकों के जीवन स्तर पर कोई लाभ संभव है या नहीं?

इस बारे में आने वाली कठिनाईयों को जानने के लिए शोधार्थियों द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण

के प्रति उसमें कार्यरत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की अभिवृति को इस शोध पत्र के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है।

हिलाल वानी (2012) ने भारत में मदरसा शिक्षा के सुधार की आवश्यकता विषय पर अपना अध्ययन किया। सना आसमॉ एवं तस्मीन शज़ील (2015) ने भारत में मुसलमानों के सशक्तिकरण में मदरसा की भूमिका पर अपना शोध कार्य किया। मेंहदी हसन (2019) ने भारत में मदरसा शिक्षा के विश्लेषण एवं आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न नीतियों की सिफारिशों पर अपना शोध कार्य किया। खालिदा अख्तर (2021) ने भारत में मदरसा शिक्षा का इतिहास एवं वर्तमान स्थिति पर अपना शोध कार्य किया। एच. के. नेगी (2022) ने दिल्ली के मदरसों में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के मुद्दे पर अपना अध्ययन कार्य किया।

शोध शीर्षक

प्रस्तुत शोध की आवश्यकता एवं महत्ता को देखते हुए इस शोध कार्य को निम्न शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है–''मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन''।

चरों की व्याख्या

1. मदरसा :''मदरसा एक ऐसा स्थान है जहां पर एक वर्ग विशेष के विद्यार्थियों को उर्दू, अरबी, फारसी आदि विषयों की परंपरागत ढंग से शिक्षा दी जाती है।''
2. मदरसों में आधुनिकरण का कार्यक्रम : मदरसा आधुनिकरण कार्यक्रम से तात्पर्य है कि ''मदरसों में परंपरागत विषयों के अध्ययन के अतिरिक्त अन्य विषयों तथा तकनीकी विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाए तथा इस तकनीकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में नवाचार द्वारा विकास लाया जाय। सरल एवं स्पष्ट शब्दों में मदरसा आधुनिकीकरण से अभिप्राय विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा मदरसों को अन्य शैक्षिक संस्थाओं की बराबरी पर लाना है जिससे इन संस्थाओं से निकले छात्र राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें।''
3. मदरसा विद्यार्थी : मदरसा विद्यार्थी का तात्पर्य ''मदरसे में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों एवं छात्राओं से है।''
4. मदरसा शिक्षक : मदरसा शिक्षक से तात्पर्य यह है कि ''वे व्यक्ति जो मदरसे में शिक्षा प्रदान करते है।''
5. अभिवृत्ति : ''अभिवृत्ति से तात्पर्य व्यक्तित्व के गुण से है जो व्यक्ति की पसंद या नापसंद को दर्शाता है। अभिवृत्ति को आंग्ल भाषा में एटीट्यूट कहते हैं। एटीट्यूट शब्द लैटिन भाषा के शब्द Abtus शब्द से बना है इसका अर्थ है योग्यता या सुविधा। अभिवृत्ति का सम्बन्ध अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव से है। यह एक मानसिक दशा है जो सामाजिक व्यवहार की अभिवृत्ति

करने में विशेष भूमिका प्रस्तुत करती है। अभिवृत्ति का कभी–कभी मनोवृत्ति के नाम से भी प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही शब्द एक ही भावनात्मक गुण को प्रदर्शित करते हैं।''

उद्देश्य

1. मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की अभिवृत्ति की स्थिति को ज्ञात करना।
2. मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति मदरसों में शिक्षण कार्य में संलग्न शिक्षकों की अभिवृत्ति की स्थिति को ज्ञात करना।

परिकल्पनाएं

1. मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति शहरी छात्रों एवं ग्रामीण छात्रों की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति शहरी छात्राओं एवं ग्रामीण छात्राओं की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति छात्रों एवं छात्राओं की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति शहरी शिक्षकों एवं ग्रामीण शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति शहरी शिक्षिकाओं एवं ग्रामीण शिक्षिकाओं की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
6. मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध अभिकल्प

शोध विधि – प्रस्तुत शोध प्रपत्र में वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत सर्वेक्षण प्रविधि प्रयुक्त की गई है।

समग्र (जनसंख्या)

प्रस्तुत शोधपत्र में समग्र से आशय बरेली जनपद के फरीदपुर तहसील में स्थित मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं उनमें शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों से है।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोधपत्र में न्यादर्श चयन हेतु यादृच्छिक लॉटरी विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन हेतु फरीदपुर तहसील के 15 मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से 100 विद्यार्थियों का चयन लॉटरी विधि के जरिए किया गया है तथा मदरसों में शिक्षण कर रहे सभी 100 शिक्षकों को अध्ययन हेतु

विषयी बनाया गया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अध्ययन में प्रयुक्त शिक्षकों के लिए किसी भी प्रकार की न्यादर्श तकनीकी का प्रयोग नहीं किया गया अपितु शिक्षकों की सम्पूर्ण जनसंख्या को अध्ययन का आधार बनाया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु न्यादर्श के रूप में 100 विद्यार्थियों एवं 100 शिक्षकों को लिया गया है, जिन्हें निम्न प्रकार से तालिकाबद्ध करके स्पष्ट किया गया है :

तालिका – 1: न्यादर्श की रूपरेखा

प्रकार ↓ / मदरसे के विद्यार्थी →	शहरी विद्यार्थी	ग्रामीण विद्यार्थी	कुल विद्यार्थी
शहरी व ग्रामीण छात्र	40	20	60
शहरी व ग्रामीण छात्राएं	25	15	40
सभी छात्र व छात्राएं	60	40	100

तालिका – 2: न्यादर्श की रूपरेखा

प्रकार ↓ / मदरसे के शिक्षक →	शहरी शिक्षक	ग्रामीण शिक्षक	कुल शिक्षक
शहरी व ग्रामीण छात्र	30	40	70
शहरी व ग्रामीण छात्राएं	20	10	30
सभी छात्र व छात्राएं	70	30	100

उपकरण

प्रस्तुत शोधपत्र में मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन को जानने के लिए स्वनिर्मित अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत पूर्ण सहमत, सहमत, तटस्थ, असहमत, पूर्ण असहमत विकल्प दिए गए हैं, जिसमें धनात्मक पदों पर क्रमशः 5, 4, 3, 2, 1 तथा ऋणात्मक पदों पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 अंक प्रदान किए गए हैं।

शोध का परिसीमांकन

शोध अध्ययन के परिसीमांकन में शोध–अध्ययन की व्यवहारिक मान्यताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। व्यवहारिक मान्यताओं में समय, श्रम और धन प्रमुख होते हैं। फरीदपुर तहसील के सभी मदरसों के विद्यार्थियों की सभी कक्षाओं का एक साथ अध्ययन करने में समय, श्रम और धन का अपव्यय होगा। इसलिए शोधार्थी ने मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को ही अध्ययन सीमा में रखा हैं।

सांख्यिकीय प्रविधियां

प्रस्तुत शोधपत्र में मध्यमान, मानक विचलन और टी–मूल्य संदर्भित सांख्यिकीय प्रविधियां प्रयोग में लाई गई है।

विश्लेषण एवं व्याख्या

संबंधित सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग कर प्राप्त परिणामों के माध्यम से तालिका–03 में विश्लेषण एवं व्याख्या की गई है।

तालिका संख्या – 3 मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति अभिवृत्ति (भिन्न समूहों में) के अंतर का प्रदर्शन

परिकल्पनाओं की क्रम संख्या	समूह (Group)	संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन (SD)	प्रमाप विभ्रम	माध्य अन्तर	टी–मूल्य	सार्थकता स्तर	टिप्पणी
1.	शहरी छात्र	40	90	27.92	6.13	7	1.14	2.000	सार्थक अंतर नहीं पाया गया
	ग्रामीण छात्र	20	83	19.05					
2.	शहरी छात्राएं	25	98.8	25.97	7.49	4.8	0.64	2.021	सार्थक अंतर नहीं पाया गया
	ग्रामीण छात्राएं	15	94	20.91					
3.	छात्र	60	87.66	26.61	5.15	9.34	1.81	1.984	सार्थक अंतर नहीं पाया गया
	छात्राएं	40	97	24.31					
4.	शहरी शिक्षक	30	112	25.42	6.35	17.5	2.76	2.000	सार्थक अंतर पाया गया
	ग्रामीण शिक्षक	40	94.5	27.38					
5.	शहरी शिक्षिकाएँ	20	90	27.57	9.19	4	0.44	2.048	सार्थक अंतर नहीं पाया गया
	ग्रामीण शिक्षिकाएँ	10	86	21.54					
6.	शिक्षक	70	102	41.08	6.8	13.34	1.96	1.984	सार्थक अंतर नहीं पाया गया
	शिक्षिकाएँ	30	88.66	25.79	6.8	13.34	1.96	1.984	सार्थक अंतर नहीं पाया गया

उपरोक्त तालिका संख्या – 3 में परिकल्पना 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की सार्थकता को जाँचने हेतु टी–मूल्य की गणना की गई है।

तालिका संख्या के गहन अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिकल्पना 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में प्राप्त टी–मूल्य क्रमशः 1.14, 0.64,1.81, 0.44 और 1.96 हैं जो कि सार्थकता स्तर (5%) के मान से क्रमशः 2.000, 2.021, 1.984, 2.048 और 1.984 से कम हैं। इसलिए परिकल्पना 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। इस प्रकार शून्य परिकल्पना संख्या – परिकल्पना 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्वीकृत होती हैं।

इसके अतिरिक्त परिकल्पना 4 में टी–मूल्य 2.76 है, जो कि सार्थकता (5%) के मान से 2.00 से अधिक है। इसलिए परिकल्पना 4, में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। इस प्रकार शून्य परिकल्पना संख्या 4, अस्वीकृत होती है।

परिणाम

1. मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति शहरी बालकों और ग्रामीण बालकों की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति शहरी बालिकाओं और ग्रामीण बालिकाओं की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति बालकों और बालिकाओं की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति शहरी शिक्षकों और ग्रामीण शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति शहरी शिक्षिकाओं और ग्रामीण शिक्षिकाओं की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
6. मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति शिक्षकों और शिक्षिकाओं की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

निष्कर्ष

अलग–अलग तरह के मदरसों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के कुछ समूहों का मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर आया जबकि कुछ समूहों का मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं आया। इसी तरह नेगी (2022), के शोध कार्य ''दिल्ली के मदरसों में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के मुद्दे'' में भी छात्र एवं छात्राओं के कुछ समूहों में सार्थक अंतर देखा गया जबकि कुछ समूहों में सार्थक अंतर नहीं दिखा।

मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में और मदरसे में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं दिखा। इससे यह स्पष्ट होता है कि मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति अभिवृत्ति पर लिंग एवं क्षेत्र प्रभाव पड़ता है।

शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोधपत्र में दिए गए निष्कर्ष मदरसे के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की मदरसा आधुनिकीकरण के प्रति अभिवृत्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं, ऐसे में मदरसा वातावरण, विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में संतोषजनक एवम् अभिप्रेरकीय होना चाहिए। जिसके लिए मदरसों के शिक्षकों, प्रधानाचार्य और प्रशासकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, इस संदर्भ निम्न सुझाव प्रस्तुत है :–

शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में

1. मदरसों के शिक्षकों को चाहिए प्रजातांत्रिक, अभिप्रेरकीय और शैक्षिक वातावरण का निर्माण करें।
2. मदरसों के शिक्षकों को चाहिए कि वे व्यावहारिक एवं समाज उपयोगी उदाहरणों का उपयोग करें।
3. मदरसों के शिक्षकों को चाहिए कि वे बाल–केंद्रित शिक्षण विधि का प्रयोग करें।
4. मदरसों के शिक्षकों को चाहिए कि वह समय से पाठ्यक्रम समाप्त करें और आवश्यकतानुसार कठिन अंशों को दोबारा पढ़ाएं।
5. मदरसों के शिक्षकों को चाहिए कि वह मदरसे के पाठ्यक्रम को उपयोगी, दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप एवं व्यवसायोन्मुख बनाने का प्रयत्न करें।
6. मदरसों के शिक्षकों को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के साथ संतोषजनक अंतःक्रिया पर जोर दें, जिससे विद्यार्थी आसानी से मदरसों के वातावरण में समायोजित हो सकें।
7. मदरसों के शिक्षकों को चाहिए कि वे पाठ्यक्रम में उपयोगी विषय जैसे विज्ञान, गणित, कम्प्यूटर शिक्षा, भाषा और सामाजिक एवं पर्यायवरण ज्ञान को अनिवार्य विषयों के शिक्षण–अधिगम कार्य पर भी ध्यान दें।
8. मदरसों के शिक्षकों को चाहिए कि वह समय–सारणी के अनुरूप योजनाबद्ध विधि से कार्य करें।
9. मदरसों के शिक्षकों को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को भारत की संस्कृति, गौरवमयी इतिहास से रूबरू करवाएं, और उनमें राष्ट्रीयता के गुण को प्रज्जवलित करें।
10. मदरसों के शिक्षकों को चाहिए कि वह पाठ्यचर्या के साथ–साथ पाठ्य–सहगामी क्रियाओं पर भी विशेष ध्यान दें, जिससे विद्यार्थियों का चहुंमुखी विकास संभव हो सके।

प्रधानाचार्य के परिप्रेक्ष्य में

1. मदरसों के प्रधानाचार्य को शिक्षकों, शिक्षार्थियों एव् अन्य लोगों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
2. मदरसों के प्रधानाचार्य को मदरसों के विभिन्न आयोजन जैसे राष्ट्रीय पर्वों, वार्षिक खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित करते रहना चाहिए।
3. मदरसों के प्रधानाचार्य को प्रशासक और शिक्षकों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करना चाहिए।

4. मदरसों के प्रधानाचार्य को नियमों के पालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
5. मदरसों के प्रधानाचार्य को प्रतिदिन मदरसों का निरीक्षण करना चाहिए।
6. मदरसों के प्रधानाचार्य को स्वयं स्टाफ के साथ और विद्यार्थियों के साथ सामाजिक गतिविधियों एवं सामाजिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।
7. मदरसों के प्रधानाचार्य को मदरसों को विद्यार्थियों की सकारात्मक अभिवृत्ति बनाने में प्रशासकों एवं शिक्षकों की सहायता करनी चाहिए।
8. मदरसों के प्रधानाचार्य को विद्यार्थियों की समस्याओं को गम्भीरता से लेना चाहिए और निवारण के लिए सकारात्मक कदम भी उठाना चाहिए।
9. मदरसों के प्रधानाचार्य को मदरसों में अनुशासन के साथ ही साथ विद्यार्थियों एवं शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की गतिविधियों पर ध्यान देते रहना चाहिए।
10. मदरसों के प्रधानाचार्य को मदरसों में प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे विद्यार्थी की अभिवृत्ति में और अधिक सार्थक हो सकें।

प्रशासकों के परिप्रेक्ष्य में

1. मदरसों के प्रबंधकों को मानकों के अनुरूप रखरखाव पर ध्यान देना चाहिए।
2. मदरसों के प्रबंधकों को योग्य और अनुभवी शिक्षकों और प्रधानाचार्य को नियुक्त करना चाहिए।
3. मदरसों के प्रबंधकों को मानकों में नई तकनीकी शिक्षा के प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए।
4. मदरसों के प्रबंधकों को चाहिए कि वे मदरसा में दबाब मुक्त प्रबंधन पर ध्यान दें।
5. मदरसों के प्रबंधकों को चाहिए कि वे सरकारी संस्थाओं के ताल–मेल बनाकर नियमों के अनुरूप कार्य करें।
6. मदरसों के प्रबंधकों को चाहिए कि मदरसों को जिम्मेदार सरकारी संस्थाएं संदेह की दृष्टि से न देखें।
7. मदरसों के प्रबंधकों को चाहिए कि मदरसों के लिए जिम्मेदार सरकारी संस्थाएं आवश्यक निधि और संस्थानों का प्रबंध करें।
8. मदरसों के प्रबंधकों को चाहिए कि मदरसों के द्वारा अपनी संस्कृति को सहेजने में प्रशासन को उनकी सहायता करनी चाहिए।
9. मदरसों के प्रबंधकों को चाहिए कि मदरसों के माध्यम से मुस्लिम–समाज व अन्य को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में सहयोग देना चाहिए।
10. मदरसों के प्रबंधकों को चाहिए कि मदरसों के माध्यम से गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था करने में और साक्षरता दर बढ़ाने में प्रशासन को उनका सहयोग करना चाहिए।

संदर्भ :

1. गुप्ता, एस. पी. और गुप्ता ए., (2012), ''भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं'', इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।
2. बेबी, ए., (1998), ''द प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च'', न्यूयार्क : वुडवर्थ पब्लिशिंग कम्पनी, आठवां संस्करण।

3. भटनागर, आर. पी., (2003), ''मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन'', मेरठ : आर. लाल बुक डिपो।
4. राय, ए. एवं अस्थाना, एम., (2009), ''निर्देशन एवं परामर्श'', नई दिल्लीः मोतीलाल बनारसी दास।
5. शर्मा, पी., (2007), ''रिसर्च मैथडोलॉजी'', जयपुर : पंचशील प्रकाशन।
6. शर्मा, आर. ए., (1995), ''शिक्षा अनुसंधान'', मेरठ : सूर्या प्रकाशन।
7. बानी, हिलाल (2012), ''भारत में मदरसा शिक्षा में सुधार की आवश्यकता'', https://www.researchgate.net>3121...(PDF)MadarsaEdu.inIndia:aneedforreformation-researchgategoogle.com
8. नेगी.एच. के. (2022), ''दिल्ली के मदरसों में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के मुद्दे'', Journal of Positive School Psychology, Vol. 6.
9. Freeman, F. S., (1939), "Mental Test & Their History, Pinciples and Applications", Boston: Hoghton Miffin.
10. Jashua, M., Amadi, (2011),"The Power of Attitude", UK: Filament Publishing Ltd., 16, Croydon Road, Waddon.
11. Sorenson, H., (1977), "Psychology In Education", New Delhi: Tata McGraw Hill, 7th edition.
12. Travers, R.,(1973), "Educational Psychology", New York: MacMillan,
13. Whittakar, J. O.,(1970), "Introduction to Psychology", New York: W.B. Saunders Company (International Students Edition).
14. Asma, Sana & Tasneem Shazil (2015), "Role of Madarsa Edcuation in Empowerment of Muslim in India", IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR – JHSS) Volume 20, Issue-2, Ver.V (Feb-2015) pp. 10-15, https://www.researchgate.net>3442...(PDF) roleofmadarsaeducationinempowermentofmusliminindiagoogle.com
15. Hasan, Mehandi (2019), "Madarsa Education in India : Analysis and Policy Recommonded for Modernization, https://repository-iimb-ac-in/handle/2074/10192
16. Akhtar, Khalid (2021), "History and Present Status of Madarsa Education in India", JETIR, Oct 2021, Vol. 8, Issue-10

❍❍❍❍❍

"किसी बच्चे की शिक्षा को अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है।"

– रविन्द्रनाथ टैगोर

प्रौढ़ शिक्षा के विकास के उभरते नए आयाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में

– प्रिया जौहरी

अशिक्षित प्रौढ़ व्यक्ति के विकास और प्रगति के लिए प्रौढ़ शिक्षा अति आवश्यक है। प्रौढ़ शिक्षा, व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। इसके साथ ही उसके सामाजिक समृद्धि को भी बढ़ावा देती है। शिक्षित प्रौढ़ व्यक्ति समाज के उत्थान में सक्षमता से योगदान दे सकते हैं। अशिक्षित प्रौढ़ व्यक्ति शिक्षित होकर नेतृत्व, कौशल, विचारशीलता, समस्या समाधान की क्षमता आदि सीखते हैं, जो उनके जीवन को पहले से बेहतर बनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार बुनियादी शिक्षा और जीवकोपर्जन का अवसर प्राप्त करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 प्रौढ़ शिक्षा को प्राथमिकता देने की सिफारिश करती है। वर्तमान समय में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं जिससे की सभी निरक्षर प्रौढ़ वयस्कों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी साक्षरता के साथ–साथ उचित व्यावसायिक कौशलों की सतत् शिक्षा प्रदान की जा सके। प्रस्तुत लेख में प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के आलोक में समझाने का प्रयास किया गया है। इस लेख में प्रौढ़ शिक्षा विकास के लिए किये जा रहे कुछ खास प्रयासों पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही, प्रौढ़ शिक्षा के विकास के लिए कुछ सुझावों को भी प्रस्तुत किया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा का महत्व

जैसा हम सब जानते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य उन प्रौढ़ व्यक्तियों को शैक्षिक विकल्प देना है, जिन्होंने यह अवसर गंवा दिया है और औपचारिक शिक्षा आयु को पार कर चुके हैं, लेकिन अब वे साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास (व्यावसायिक शिक्षा) और इसी तरह की अन्य शिक्षा सहित किसी तरह के ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा का महत्व आधुनिक समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा किसी राष्ट्र की शैक्षिक प्रणाली की प्रभावशीलता का संकेतक है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ज्ञान, विचारशीलता, सामाजिक जागरूकता, नैतिक मूल्यों की समझ, और तकनीकी कौशल जैसे विभिन्न पहलुओं में सुधार करने का अवसर प्रदान करती है। किसी राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब उसके सभी नागरिक शिक्षित हो। प्रौढ़ शिक्षा, सभी को शिक्षित करने का मार्ग प्रस्तुत करती है। यह व्यक्ति के विचारों को समृद्ध, सामाजिक, और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विकसित करने में मदद करती है। एक व्यक्ति और समुदाय का गैर–साक्षर

होने के कारण कई नुकसान होते हैं जैसे बुनियादी वित्तीय लेन–देन ना कर पाना, नौकरी, सेवा आदि के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म न भर पाना, समाचार मीडिया में सार्वजनिक पत्रों, लेखों आदि को न समझना, व्यापार को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करने की असमर्थता, इंटरनेट तथा अन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग न कर पाना, दवाईयां, सड़कों आदि पर लिखे हुए सुरक्षा निर्देशों को न समझना, बच्चों को उनकी शिक्षा में मदद न कर पाना, भारत के नागरिक के रूप में प्राप्त मूल अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी न होना, उत्पादकता वाले क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में असमर्थता आदि शामिल हैं। ये सूचीबद्ध क्षमताएं उन परिणामों की सांकेतिक सूची हैं जिन्हें प्रौढ़ शिक्षा को अपना कर प्राप्त किया जा सकता है।

भारत में प्रौढ़ शिक्षा की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में भारत की साक्षरता दर 72.98 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि पिछले दशक की समग्र साक्षरता दर में इस बार 8.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पुरूष साक्षरता दर में 5.62 प्रतिशत जबकि महिला साक्षरता दर में 10.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान में पुरूषों की साक्षरता दर 80.88 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता दर 64.63 प्रतिशत है। आकड़े बताते हैं कि असाक्षरों की संख्या (7 वर्ष आयु एवं उससे ऊपर के समूह) 2001 में 304.10 मिलियन थी जो 2011 में घटकर 282.70 मिलियन हो गई। 2009–10 से 2017–18 के दौरान साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत साक्षर के रूप में प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या 7.64 करोड़ थी। इस प्रगति को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया गया जा सकता है कि भारत में अभी भी लगभग 18.12 करोड़ असाक्षर वयस्क हैं जो कि अपने आप में हीं एक बड़ी संख्या है।

प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा देश में सभी को शिक्षित करने का निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। विभिन्न नीतियों और अभियानों ने प्रौढ़ शिक्षा की बात करते समय इस आवश्यकता को बारंबार संबोधित किया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (1988), साक्षर भारत (2009) और पढ़ना–लिखना अभियान (2020) कुछ ऐसे ही प्रयास हैं जिनका उद्देश्य प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा के तहत साक्षरता और बुनियादी शिक्षा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, नागरिक, आर्थिक और जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसरों की एक नई दुनिया को खोल देती है जो व्यक्ति को निजी और व्यावसायिक, दोनों ही स्तरों पर आगे बढ़ाने में मदद करती है। समाज और देश के स्तर पर साक्षरता और बुनियादी शिक्षा एक ऐसी उत्प्रेरक शक्ति के रूप में काम करती है जो विकास हेतु किए जा रहे अन्य सभी प्रयासों की सफलता को कई गुना बढ़ा देती है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि किसी देश की साक्षरता दर तथा उसकी प्रति

व्यक्ति जीडीपी में उच्चतर सह संबंध होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात की अनुसंशा करती है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए सुदृढ़ एवं नवाचारी सरकारी पहल कदमियों, खासकर समुदाय की भागीदारी को सुगम बनाने तथा प्रौघोगिकी के सुचारू और लाभकारी एकीकरण को जल्दी लागू किया जाए ताकि शत–प्रतिशत साक्षरता के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर बल देती है कि बदलते समय में प्रौढ़ शिक्षा के विकास के लिए यह जरूरी है कि एक नए प्रकार की पाठ्यचर्या विकसित की जाए जो आज की मांग के अनुरूप हो। पाठ्यचर्या ऐसी हो जिससे देश में प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्यों की सफल प्राप्ति हो सके। इसलिए एनसीईआरटी के द्वारा एक नया तथा सुसमर्थित पाठ्यचर्या प्रौढ़ शिक्षा के लिए विकसित किया जाए जो कि पूर्णरूप से प्रौढ़ शिक्षा के लिए समर्पित हो। इस पाठ्यचर्या ढांचे में कम से कम निम्न पांच प्रकार के कार्यक्रम शामिल होंगे :

- बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान,
- महत्वपूर्ण जीवन कौशल जैसे (वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, शिशुपालन शिक्षा और परिवार कल्याण),
- व्यावसायिक कौशल (स्थायी रोजगार प्राप्ति के मद्देनजर)
- बुनियादी शिक्षा (प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर के समकक्ष)
- सतत शिक्षा जैसे (कला, विज्ञान, तकनीकी, संस्कृति, खेल, मनोरंजन आदि के अलावा स्थानीय शिक्षार्थियों की रूचि और लाभ की दृष्टि से अन्य विषय, उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण जीवन कौशलों पर अधिक उन्नत सामग्री और प्रौढ़ शिक्षा कोर्स।

प्रौढ़ शिक्षा के विकास के लिए किए गए प्रयास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के विजन को ध्यान में रखते हुए प्रौढ़ शिक्षा के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा के उत्थान के लिए हाल में कई योजनाओं और अभियानों का प्रारम्भ इसी सोच से किया गया है जिससे सतत् शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के अलग–अलग क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं का समाधान किया जा सके। वर्तमान में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जो की प्रौढ़ शिक्षा के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इन सभी पहलों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार हैं :

उड़ान शिक्षा की : प्रौढ़ शिक्षा मार्गदर्शिका

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रौढ़ शिक्षा अभियान के शिक्षार्थियों के लिये भाषा और गणित को शामिल करते हुए 13 विषयों (थीम) पर पाठ्य प्रवेशिका एवं मार्गदर्शिका तैयार की है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 'उड़ान शिक्षा की' नाम से प्रौढ़ शिक्षा मार्गदर्शिका और चार प्रवेशिकाएं तैयार की हैं। ये प्रवेशिकाएं

Final PS Jul-Dec'23_feb'11 pror shiksha.qxd 11/21/2023 12:31 PM Page 25

समेकित रूप से बनाई गई हैं जिनमें भाषा और गणित दोनों विषय शामिल हैं। प्रवेशिका के भाग–1 में 3, भाग–2 में 4, भाग–3 में 3 तथा भाग–4 में 3 विषय शामिल किये गये हैं। इस प्रकार प्रवेशिकाओं

पाठ्य प्रवेशिका भाग 1	**पाठ्य प्रवेशिका भाग 2**	**पाठ्य प्रवेशिका भाग 3**	**पाठ्य प्रवेशिका भाग 4**
1. परिवार और पड़ोस **हिंदी भाषा** अ, आ, न, प, स, र, व अनवरी का परिवार कैसे आए गीनानी (कविता) **गणित** 1 से 9 तक की गिनना व लिखना **2. बातचीत** **हिंदी भाषा** इ, ई, ब, त, म, ख, ट, च स्कूल को चिट्ठी अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा (नाटक का अंश) **गणित** 1 से 20 तक की	**1. पर्यावरण** **हिंदी भाषा** ए, ऐ, ज, ज, भ, श, ष, ड, ड़, अनुस्वार, अनुनासिक सखोमा जरीगाँव की कहानी दानी पेड़ **गणित** 1 से 100 तक की संख्या पढ़ना और लिखना समूहों में गिनना 1 से 50 तक जोड़ व घटा करना । (पुनर्समूहन के साथ) 51 से 100 तक जोड़ व घटा करना (बिना पुनर्समूहन के) आँकड़ों का प्रबंधन	**1. आपदा प्रबंधन** **हिंदी भाषा** जब धरती काँपी भोपाल गैस त्रासदी **गणित** धारिता की मापन करना (मिलीलीटर, लीटर) गुणा और भाग से जुड़ी दैनिक जीवन की समस्याएँ हल करना **2. समय–समय की बात** **हिंदी भाषा** घड़ियों की हड़ताल वक्त **गणित** दो अंकीय संख्याओं का गुणन	**1. मनोरंजन** **हिंदी भाषा** मुफ्त ही मुफ्त 'ददरिया' लोकगीत जादुई लालटेन **गणित** आकृतियों की समझ बनाना (वर्ग, आयत, त्रिभुज, गोला इत्यादि) आकृतियों और संख्याओं के पैटर्न की समझ बनाना **2. वित्तीय साक्षरता** **हिंदी भाषा** शबेनर की उलझन दान का हिसाब

Final PS Jul-Dec'23_feb'11 pror shiksha.qxd 11/21/2023 12:3? PM Page 26

संख्याएँ पहचानना, पढ़ना और लिखना 20 तक की संख्याओं का जोड़ व घटा शुन्य (0) से परिचय **3. स्थानीय सस्कृति** **हिंदी भाषा** ओ, औ, झ, द, ल, ग, क, य दीवाली के दीये ईदगाह (कहानी का अंश) **गणित** 11 से 50 तक की संख या पढ़ना और लिखना इकाई और दहाई के समूहों में गिनना 1 से 50 तक जोड़ व घटा करना।	**2. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता** **हिंदी भाषा** उ, ऊ, ह, छ, थ, फ, फ, ठ मच्छरों से सावधान गांधीजी के आश्रम में **गणित** 1000 तक की संख या पहचानना, पढ़ना और लिखना इकाई, दहाई और सैकड़ों के समूहों में गिनना। (स्थानीय मान) एक अंकीय संख्याओं का गुणा करना आँकड़ों का प्रबंधन **3. मतदान** हिंदी भाषा घ, ध, ढ, ढ़, क्ष आप एक वोटर हैं **गणित** तीन अकं वाली संख याओं को जोड़ व घटाकर गुणा के तथ्यों का	समय की माप (घंटा , मिनट, सेकंड) **3. यात्रा** **हिंदी भाषा** यात्रा ओमना की डायरी **गणित** समय की माप का उपयोग करना (12 और 24 घटें वाली घड़ी) कैलेंडर, समय–सारणी और रेल टिकट पर दी गई सूचनाओं की समझ बनाना	**गणित** बैंक खाता खुलवाने संबंधि त जानकारी का उपयोग करना बैंक संबंधि त फार्म पढ़ना, समझना और भरना (चौक, जमापर्ची, नकद निकासी पर्ची) **3. डिजिटल साक्षरता** **हिंदी भाषा** डिजि टल दुनिया मोबाइल की दुनिया **गणित** डिजिटल अंकों की पहचान एवं लिखना चित्र में प्रदर्शित आँकड़ों की समझ मोबाइल फोन से संबंधि त दैनिक जीवन की समस्या हल करना

Final PS Jul-Dec'23_feb'11 pror shiksha.qxd 11/21/2023 12:31 PM Page 27

	निर्माण करना लंबाई की माप (सेंटीमीटर, मीटर) आँकड़ों का प्रबंधन **4. कानूनी साक्षरता** **हिंदी भाषा** त्र, श्र, ण, ऋ, ज्ञ सबके लिए समान कानून गांधीजी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई. आर.) **गणित** दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली भिन्‍ नों की समझ का उपयोग भाग की समझ बनाना वजन का मापन करना (ग्राम, किलोग्राम)		

के रूप में 13 विषय (थीम) तय किये गए हैं जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार है :

स्पष्ट है कि इन प्रवेशिकाओं में परिवार एवं पड़ोस, बातचीत, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कानूनी साक्षरता, आपदा प्रबंधन, डिजिटल साक्षरता आदि जैसे विषयों को शामिल किया गया है। इन सभी पहलुओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है : भाषा के अंतर्गत इन्हीं विषयों से जुड़ी सार्थक, समग्र और रोचक सामग्री को लेते हुए हिंदी भाषा और अंक को पढ़ने–लिखने के अवसर जुटाए गए हैं। वयस्क शिक्षार्थियों के

पढ़ने–लिखने और अंक गणित सीखने में मदद के लिए एक निर्देशिका का भी निर्माण किया गया है। यह निर्देशिका शिक्षकों द्वारा उपयोग में लाई जाएगी । इस निर्देशिका में साक्षरता का व्यापक परिप्रेक्ष्य, भाषा व गणित सीखने के उद्देश्य, सीखने–सिखाने की प्रक्रिया और आकलन पर विस्तृत चर्चा की गई है। प्रवेशिकाओं और निर्देशिका में दिए गए बिंदुओं को सुझाव के तौर पर शामिल किया गया है। स्थानीय अपेक्षाओं और शिक्षार्थियों की जरूरत के हिसाब से इनमें आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों की कुल संख्या 25.76 करोड़ (पुरुष 9.08 करोड़, महिलाएँ 16.68 करोड़) थी। वर्ष 2009–10 से वर्ष 2017–18 तक लागू 'साक्षर भारत कार्यक्रम' के तहत साक्षर के रूप में प्रमाणित 7.64 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान में भारत में लगभग 18.12 करोड़ वयस्क असाक्षर हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणाओं से जोड़ते हुए ''नव भारत साक्षरता कार्यक्रम'' नामक एक नयी योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस कार्यक्रम को वित्तवर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिये मंजूरी प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर 'सभी के लिये शिक्षा' शब्द का उपयोग किया गया है जो कि इसकी व्यापकता को दर्शाता है। इस योजना के दायरे में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 15 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के सभी असाक्षरों को शामिल किया गया है। इसका मकसद वित्तवर्ष 2022–27 के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों को बुनियादी साक्षरता और अंकज्ञान प्रदान करना है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालययी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के सहयोग से 'ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम (OTLAS) का उपयोग करके प्रतिवर्ष 1 करोड़ की दर से 5 करोड़ शिक्षार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिवर्ष एक करोड़ शिक्षार्थियों को शिक्षित करना है। कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता पहल में पहले 15–35 आयुवर्ग के लोगों को पूर्ण रुप से साक्षर किया जाएगा और उसके बाद 35 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले लोगों को साक्षरता की परिधि में लाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत, शिक्षार्थियों को शिक्षित करने के लिए आनलाइन शिक्षण, पठन–पाठन और मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग किया जायेगा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है, बल्कि 21वीं सदी के नागरिकों के लिए आवश्यक अन्य घटकों को भी शामिल करना है। इसमें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता सहित, शिशु देखभाल तथा शिक्षा एवं परिवार कल्याण सहित जीवन कौशल को भी शामिल किया गया है। साथ ही स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से व्यावसायिक कौशल विकास तथा प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की समकक्षता सहित बुनियादी शिक्षा और कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल और मनोरंजन सहित सतत शिक्षा में समग्र प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम के

साथ–साथ स्थानीय शिक्षार्थियों के लिए रुचि या उपयोग के अन्य विषयों को भी रखा गया है।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के प्रावधान :

- स्कूल इस योजना के क्रियान्वयन की इकाई के रूप में कार्य करेगा।
- विभिन्न आयु समूहों को शिक्षित करने के लिए अलग–अलग रणनीति अपनाई जाएगी।
- नवोन्मेषी गतिविधियों को शुरू करने के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त लचीलापन प्रदान किया जाएगा।
- 15 वर्ष और उससे अधिक आयुवर्ग के सभी गैर–साक्षर लोगों को महत्वपूर्ण जीवन कौशल के माध्यम से मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करना कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है।
- यूडीआईएसई के तहत पंजीकृत लगभग 7 लाख स्कूलों के तीन करोड़ छात्र–छात्राओं के साथ–साथ सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लगभग 50 लाख शिक्षक स्वयंसेवक के रूप में भाग लेंगे।
- इस कार्यक्रम में लड़कियों और महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी अल्पसंख्यकों, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों (दिव्यांगजन), हाशिए वाले, घुमंतू निर्माण श्रमिकों, मजदूरों, आदि श्रेणियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- इस कार्यक्रम को ऑनलाइन प्रारूप के माध्यम से यूडीआईएसई के तहत पंजीकृत स्वयंसेवकों के द्वारा लागू किया जाएगा। इन स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण, अभिविन्यास, कार्यशालाओं का आयोजन फेस–टू–फेस (आमने–सामने) मोड के माध्यम से किया जाएगा।
- सभी प्रकार के मीडिया–इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, लोक और इंटर–पर्सनल मीडिया एवं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित टीवी चैनल, रेडियो आदि का यथा संभव प्रयोग किया जाएगा।
- कार्यात्मक साक्षरता के माध्यम से वास्तविक जीवन की सीख और कौशल हासिल करने के लिए वैज्ञानिक प्रारूप का उपयोग करके स्थानीय स्कूलों में साक्षरता का आकलन किया जाएगा। मांग संबंधी मूल्यांकन भी ओटीएलएएस के माध्यम से किया जाएगा और शिक्षार्थी को एनआईओएस और एनएलएमए द्वारा संयुक्त रूप से ई–हस्ताक्षरित ई–प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से यादृच्छिक रूप से चुने गए 500–1000 शिक्षार्थियों के नमूनों और परिणाम–उत्पादन निगरानी फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) द्वारा अधिगम परिणामों का वार्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण किया जाएगा ।

उल्लास (ULLAS) अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑनलाइन सोसाइटी

उल्लास, एक मोबाइल एप्लिकेशन है जिसे वर्ष 2023 में जन–जन साक्षर संदेश के साथ लॉन्च किया गया। सुविधा के अनुसार इस एप्लिकेशन को एंड्रॉइड व आईओएस दोनों पर उपलब्ध कराया गया है।

उल्लास का मुख्य उद्देश्य बुनियादी साक्षरता तक व्यापक पहुँच प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी क्षमता का उपयोग करते हुए बुनियादी साक्षरता तक पहुंच की सुविधा देना है। इसका मुख्य लक्षित समूह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक होंगे। यह एप्लिकेशन एनसीईआरटी के दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षार्थियों के लिए डिजिटल गेटवे के रूप में काम करेगा। उल्लास एप्लिकेशन पर शिक्षार्थी खुद अपना पंजीकरण आसानी से करा सकते हैं। मुख्य रूप से, उल्लास "कार्यात्मक साक्षरता", व्यावसायिक कौशल और फाइनेंशियल लिटरेसी, कानूनी लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल की शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगर कोई व्यक्ति उल्लास, मोबाइल एप्लिकेशन को खोलता है तो चार प्रकार के विकल्प सामने आते हैं : सर्वेक्षण, स्वयं पंजीकरण, सीखना और प्रमाणीकरण। सर्वेक्षण का विकल्प सर्वेक्षणकर्ता के लिए है। यदि हम स्वयं पंजीकरण के विक्लप पर जाते हैं तो हमारे सामने दो विकल्प आते हैं एक, शिक्षक के रूप में पंजीकरण करने का तथा दूसरा सीखने वाले के रूप में पंजीकरण करने का। सीखना, नामक विकल्प पर एनसीईआरटी द्वारा निर्मित की गई 'प्रवेशिकाएं और दीक्षा पोर्टल के गटेवे को उपलब्ध कराया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा के विकास के लिए सुझाव

1. सरकार और प्रशासन के द्वारा उपयुक्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जाय ताकि सभी अशिक्षित प्रौढ़ों को शिक्षा तथा जीवन पर्यंत अधिगम के उचित अवसर प्राप्त हो सकें।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 इस बात की अनुसंशा करती है कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के रूप में स्कूल के घंटे के बाद और सप्ताहांत पर स्कूल तथा स्कूल परिसर का उपयोग किया जाय।
3. प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय का जहां तक संभव हो सके उसका उपयोग किया जाय।
4. प्रौढ़ शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए सामुदायिक भागीदारी और संवर्धन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाय।
5. प्रौढ़ व्यक्ति धीमी गति से सीखते हैं। उनका सीखने का अपना अलग ढंग होता है। इसलिए उनको शिक्षित करने लिए यह जरूरी है कि इस तथ्य को ध्यान रखा जाय। उन्हें शिक्षित करने के लिए उनके अनुभवों और स्थानीय उदाहरणों का उपयोग किया जा सकता है।
6. प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में गैर–सरकारी संगठनों की सहायता ली जाय।
7. उच्च शिक्षा संस्थानों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य स्थानों का प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
8. प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम संरचना में वर्णित सभी पांच प्रकार की पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए परिपक्व प्रशिक्षक की आवश्यकता होगी। मौजूदा प्रशिक्षकों को पूर्व शिक्षा केंद्रों जैसे राष्ट्रीय, राज्य और जिलास्तरीय संसाधन सहायता संस्थाओं के द्वारा प्रशिक्षित किया जाय।
9. उच्च शिक्षा संस्थानों के समुदायों से जुड़ने के मिशन के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए कि वह लघु अवधि के प्रशिक्षण कोर्स प्रारंभ करें। शिक्षक, शैक्षिक कार्यकर्ता के तौर पर और व्यापक स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षक के रूप में कम करें।

शिक्षकों को उनकी इस महत्वपूर्ण सेवा के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाय।

10. विज्ञापनों, घोषणा और गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्य स्थानीय संगठनों की गतिविधियों एवं विभिन्न पहलकदमियों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा के अवसरों का व्यापक प्रचार किया जाय।
11. सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए पुस्तकों तक पहुंच और उपलब्धता को पहले से बेहतर बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी समुदाय और शिक्षा संस्थान–विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकों की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करें साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारें भी यह सुनिश्चित करें कि पूरे देश में सभी तक पुस्तकों की उपलब्धता सस्ते मूल्य पर हो।
12. उच्चतर शिक्षा संस्थानों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में भी प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जा सकती है।
13. प्रौढ़ शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए प्रौद्योगिक आधारित विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। मुख्य रूप से ऐप, ऑनलाइन कोर्स, माड्यूल उपग्रह आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन किताबें और आईसीटी से सुसज्जित पुस्तकालय आदि के उपयोग को बढ़ावा दिया जाय।

निष्कर्ष

सीखना एक प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। अधिगम का क्षेत्र इतना विशाल है कि यह पूरे जीवन किया जाय, फिर भी पर्याप्त नहीं होगा। शिक्षा और ज्ञान दोनों एक सतत प्रक्रिया हैं जो किसी व्यक्ति के पूरे जीवनकाल के लिए होती हैं। जैसा कि कहा जाता है, हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। विद्या, जीवन में अति आवश्यक है। इसके अभाव में प्रगति और विकास की कल्पना भी असंभव है। शिक्षा के प्रकाश व ज्ञान के बिना सर्वत्र अंधकार और अज्ञान ही व्याप्त रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा समग्ररूप से समाज और देश की साक्षरता दर में सुधार होता है। अपनी बुनियादी साक्षरता में सुधार करने से वयस्कों को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपनी पूरी क्षमता के उपयोग तक पहुंचने का मौका मिलता है। वे अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और दुनिया के बारे में जानने के लिए अधिक आत्मविश्वास हासिल कर पाते हैं जिससे उनका और राष्ट्र, दोनों की ही प्रगति का मार्ग खुलता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण अब दूरस्थ स्थानों पर भी शिक्षा की पहुँच आसान हो गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष बल देती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही समाज को जीवंत बनाया जा सकता है। इस हेतु समस्त समाज–जन को सतत शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा के संचालन हेतु अपना अमूल्य योगदान देना होगा। इस योगदान में स्थानीय नागरिकों, शिक्षकों, स्वयंसेवी सगठनों समुदाय, एवं शिक्षित युवाओं को बढ़–चढ़कर आगे आना होगा। इसी प्रकार के सभी सम्मिलित प्रयासों से देश के समस्त नागरिक साक्षर और आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

संदर्भ

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हिंदी PDF इस लिंक से प्राप्त किया गया https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf

Final PS Jul-Dec'23_feb'11 pror shiksha.qxd 11/21/2023 12:31 PM Page 32

स्वातंत्र्योत्तर भारत में मानवाधिकार की उपलब्धियाँ

– **मिथिलेश कुमार**

मानवाधिकार मानवीय जीवन के ऐसे नैसर्गिक, अंतर्निहित एवं मूलभूत अधिकार हैं, जो किसी भी व्यक्ति को एक सभ्य एंव शांतिप्रिय समाज में स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, प्रतिष्ठा एवं समान विधि के साथ जीवनयापन करने का समान अधिकार एवं वातावरण प्रदान करते हैं। मानवाधिकारों के अभाव में मानव के व्यक्तित्व एवं गुणों का विकास असंभव है। मानवाधिकार मानवीय जीवन के विकास के वे केंद्र बिंदु हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को हर समय, स्थान एवं परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से इसलिए प्राप्त होने चाहिए क्योंकि ये मानव व्यक्तित्व के सभी आयामों को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए अनिवार्य हैं। इन्हीं के कारण मानव अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक विवेकशील, तर्कसंपन्न तथा नैतिक है।

मानवाधिकारों की चर्चा सर्वप्रथम आधुनिक संदर्भों में अमेरिकी तथा फ्रांसीसी क्रांतियों के पश्चात् प्रारंभ होती है। द्वितीय विश्वयुद्ध के काल में अमेरिकी कांग्रेस में राष्ट्रपति रूजवेल्ट अपने संबोधन के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को चार प्रकार के स्वतंत्र अधिकार प्रदान करने का समर्थन करते हैं। भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, धर्म तथा विश्वास का अधिकार, स्वतंत्रता एवं भय से मुक्ति का अधिकार। ये चारों अधिकार मानव के विकास के लिए आवश्यक थे। इसीलिए इस संबोधन को 'फॉर फ्रीडम स्पीच' कहा गया। ये अधिकार आगे चलकर वैश्विक परिदृश्य में मानवाधिकार संबंधी घोषणा का आधार बने। 10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों के विश्व घोषणा–पत्र को अंगीकृत तथा घोषित किया। यह वह समय था जब भारत औपनिवेशिक सत्ता से स्वतंत्र होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना और स्वतंत्र राष्ट्र के लिए आदर्श संविधान का निर्माण कर रहा था, जिसके जरिये स्वतंत्र भारत उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके।

भारतीय संविधान के निर्माण के समय मानवाधिकारों की न केवल चर्चा प्रारंभ हो चुकी थी अपितु विश्व भर में इसे लागू करने के बारे में काफी हलचल थी। इसी समय भारतीय संविधान निर्माताओं ने मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु विविध उपबंध भारतीय संविधान में समाहित किए। भारतीय संविधान के भाग – 3 में प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनके अंतर्गत विधि के समक्ष समता, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है और रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि के समान अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

भारत में मानव अधिकारों की संकल्पना कोई नई नहीं है, यहां प्राचीन काल से ही मानव अधिकारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सभी मानव को एक समान मानने की परंपराएँ रही हैं। भारतीय संस्कृति में अधिकारों की जड़ें गहराइयों के साथ निहित हैं। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति में 'पृथ्वी परिवार' की

संकल्पना को आधार बनाकर जीवन यापन की व्यवस्था का प्रादुर्भाव प्राचीन काल से ही रहा है तथा हमारी संस्कृति 'सर्वे भवंतु सुखिन' की पक्षधर आरंभ काल से रही है। ''भारतवर्ष में मानव अधिकारों का इतिहास अत्यंत पुराना है। वैदिक काल से ही मानव को समानता, शोषण एवं यातना से मुक्त स्वतंत्रता का विधान दृष्टिगत होता है। 'सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामय। सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेतः।। इसकी अवधारणा भारतवर्ष में वैदिक काल से चली आ रही है। 'अयं निजः परोवेतिगणना लघु चेताशाम्उदार चरितनां तु वसुधैव कुटुम्बकम।। विश्व बंधुत्व की भावना भारतवर्ष में सदियों पूर्व से रही है (डॉ. इन्द्रमणि 2016. पृ. 199–200)।'' यहाँ प्राचीन काल से ही मानवीय मूल्यों एवं अधिकारों को सामाजिक जीवन का मूल आधार मानने वाली संस्कृति व्याप्त थी। परंतु औपनिवेशिक काल के दौरान मानवीय मूल्यों एवं अधिकारों का क्षरण हुआ और विविध प्रकार की सामाजिक कुरीतियों तथा शोषणकारी समाज के रूप में बड़ी तेजी से बदलाव आया, जिसके परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन व्यापक रूप से होने लगा। 20वीं सदी में भारत औपनिवेशिक सत्ता से स्वतंत्र हुआ तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और स्वयं का संविधान निर्मित कर एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित हुआ। भारत के एक स्वतंत्र और कल्याणकारी राज्य के रूप में सतत आगे बढ़ते जाने की राह में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह सामने आता है कि हमने पिछले सात दशकों में मानवाधिकारों के संरक्षण में कितनी सफलता प्राप्त की है और मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु हमने क्या कदम उठाए हैं? और अभी हमें इनके संरक्षण हेतु क्या कुछ करने की आवश्यकता है। इन प्रमुख प्रश्नों पर वर्तमान में विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं।

आजादी के बाद तथा संविधान लागू होने के पश्चात् भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु अनेक सफल प्रयास हुए हैं। लोकतांत्रिक ढ़ाँचे को अपनाने के साथ ही यहां न्यायिक एवं वैधानिक प्रणाली जनसामान्य के हाथों में आ गई है। सरकार की भूमिका केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखने तथा बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा तक सीमित नहीं रही है, बल्कि पर्याप्त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था को बनाने तथा उसके सटीक प्रयोग करने में भी लगी है। विधि निर्माण, विकास कार्यक्रमों, नीति संबंधी वक्तव्यों, प्रशासनिक कार्यवाही और आर्थिक तथा सामाजिक अभिकरणों की स्थापना के द्वारा प्रत्येक नागरिक के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान के भाग – 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों तथा भाग – 4 में वर्णित राज्य के नीति–निदेशक सिद्धांत में जो संकल्पना की गई है, उनको अमल में लाने हेतु विविध प्रयास किए गए हैं, जो सामाजिक और आर्थिक विकास लाने व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में मानवाधिकारों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

संविधान निर्माताओं ने मानवाधिकारों की संकल्पना को भारतीय संविधान की आधारशिला अर्थात "प्रस्तावना" में हीं निहित किया है, जो भारतीय संविधान की मानवाधिकारों के संबंध में विशिष्ट विशेषता है। पिछले सात दशकों में भारत ने एक लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य के रूप में विविध सफलताएँ प्राप्त की हैं तथा पूरे विश्व में लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपना एक स्थान कायम किया है, जो

मानवाधिकारों के सरंक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कुशल शासन की स्थापना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता, मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु विभिन्न आयोगों की स्थापना, सेना और पुलिस की उचित भूमिका तथा लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सजग बनाने के लिए विविध प्रयास किए गए हैं, जिसके कारण लोगों में राजनैतिक चेतना जागृत हुई है तथा वे अपने अधिकारों के प्रति सशक्त एवं सजग हुए हैं। यहीं कारण है कि भारत लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में एक ऐसी व्यवस्था को कायम करने में सफल हो रहा है, जिसमें प्रत्येक नागरिक समाज में रहकर स्वतंत्ररूप से अपना विकास कर सकने में सक्षम हो सके। ''स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने सदैव मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया है। भारतीय संविधान के भाग – 3 में वर्णित मानवाधिकारों को संरक्षित किया गया है तथा समय–समय पर संशोधन कर उन अधिकारों को परिमार्जित करने की प्रक्रिया भी अपनायी गयी है (डॉ. इन्द्रमणि, 2016 पृ.269)।''

भारत में समय के साथ मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विविध कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे ऐसे समाज का निर्माण संभव हो सके, जिसकी आधारशिला में मानवाधिकार समाहित हो। प्रधानमंत्री द्वारा मानवाधिकार आयोग में अपने संबोधन के दौरान कहे गये इस कथन से मानवाधिकारों के प्रति हमारी तत्परता और अधिक सुनिश्चित होती है कि "मानवाधिकार मात्र एक स्लोगन नहीं होने चाहिए बल्कि हमारे स्वभाव का भी एक हिस्सा होना चाहिए। सरकार लोगों के कल्याण एवं उनके अधिकारों के संरक्षण को सुरक्षित करने के लिए सक्षम समाज एवं न्याय हेतु कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् मानवाधिकारों का संरक्षण करना एक जटिल कार्य था क्योंकि भारत की विशाल आबादी, आकार, अत्यधिक विविधता तथा जटिल सामाजिक, आर्थिक संरचना आदि में मानवीय अधिकारों को संरक्षित, सवंर्धित एवं सामाजिक न्याय के साथ प्रतिरूपित करना बेहद कठिन कार्य था, परंतु मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु लगातार विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

इसी दृष्टि से 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम', 1993 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत मानवाधिकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं संबंधित मसलों के लिए 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया। साथ ही 'राज्य मानवाधिकार आयोग' तथा मानवाधिकार न्यायलयों के गठन आदि से संबंधित विविध प्रावधान इस अधिनियम में किए गए। इसके पश्चात् मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' का गठन किया गया और विभिन्न राज्यों में भी 'राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन एवं मानवाधिकार न्यायलायों की स्थापना की गई, जिसके परिणाम स्वरूप मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। ''राष्ट्रीय और राज्य स्तर के इन मानवाधिकार आयोगों का काम इस बात की निगरानी करना है कि उन के क्षेत्र में कहीं मानवाधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। साथ ही, कोई भी नागरिक अपनी ओर से भी इन आयोगों का ध्यान मानवाधिकार हनन के

मामलों की ओर आकर्षित कर सकता है और उस मामले की जाँच कर के ये आयोग उस पर उचित कारवाई करते हैं (आचार्य, 2010. पृ.103)।''

भारत में पिछले सात दशकों में मानवाधिकार आयोग जैसे विभिन्न आयोगों की स्थापना कर मानवाधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं – राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक एवं राष्ट्रीय श्रम आयोग आदि। ''राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग आदि जैसी कार्यकारी, वैधानिक, न्यायपालिका, स्वायत्तशासी संगठनों ने ऐसे सामाजिक ढ़ाचे के निर्माण की दिशा में सहायता दी है, जिसमें सभी के मानवाधिकार सुरक्षित किए जा सकें (पाराशर, 2020)।'' इस प्रकार से विभिन्न आयोगों की स्थापना कर मानवाधिकारों का संरक्षण तथा सभी वर्गों के विकास हेतु विविध प्रयास किए गए हैं।

मानवाधिकारों की वकालत भारत में जोर–जोर से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही लगातार जारी है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा और सभी को अपना समान विकास के अवसर प्रदान करने के रूप में मानवाधिकार की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है, जिसके कारण मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में लगातार वृद्धि हो रही है। वंचित वर्गों की सुरक्षा एवं गरीबी के विरूद्ध लड़ने में मानवाधिकार की भूमिका विशिष्ट रही है। गरीब एवं वंचित वर्ग शोषण के विरूद्ध अपना प्रतिरोध दर्ज कराने तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सजग हुए हैं। सामाजिक न्याय विशेषकर सभी वर्गों के हितों एवं अधिकार को संरक्षित करने की प्रवृति में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके चलते सामाजिक–आर्थिक ढ़ाँचे में सुधार के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। पिछले सात दशकों में शिक्षा, गरीबी, रोजगार एवं कृषि आदि हर क्षेत्र में मानवाधिकारों के संरक्षण एव संवर्धन हेतु जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे यह स्पष्ट हो रहा है कि मानवाधिकारों की सफलता की ओर दिनों–दिन अग्रसर हैं।

स्वतंत्रता के समय भारत में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक नहीं थी, परंतु पिछले सात दशकों में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आए हैं। आज महिलाएँ अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक एवं सजग हैं। भारत में ''समानता, स्वतंत्रता और उदारवादी सामाजिक मूल्यों तथा जनतांत्रिक प्रणाली का लाभ महिलाओं को मिलने कारण उनकी सामाजिक स्थिति पहले की तुलना में सुधारी है। वे पुरूषों के साथ हर क्षेत्र में सहयोग और प्रतिस्पर्धा की अंतः क्रिया के द्वारा उन्नति की ओर अग्रसर हैं (डॉ. इन्द्रमणि, 2016. पृ. 171)।'' आज हर क्षेत्र में महिलाएँ पुरूषों की बराबरी कर रही हैं तथा बढ़चढ़ कर राष्ट्र के विकास में भी भागीदारी कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का यह कथन कि ''महिलाओं का संघर्ष मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आवश्यक है ताकि राष्ट्र भौतिक, बौद्धिक के और अत्याधुनिक दृष्टि से अत्यधिक संतोषजनक जीवन की ओर अग्रसर हो सके (डॉ. इन्द्रमणि, 2016. पृ. 121)।'' इस तरह यह परिलक्षित है कि महिलाएँ, पुरूषों के अपेक्षा मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति ज्यादा सजग होती हैं और महिलाओं के मानवाधिकारों का जितना अधिक संरक्षण एवं संवर्धन होगा उतना अधिक हम विकास की ओर अग्रसर होंगे।

आजादी के बाद से ही भारत में सभी नागरिकों को सामान न्याय एवं व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अल्पसंख्यक हो या नीचे पायदान पर खड़ा व्यक्ति सभी को समानता, स्वतंत्रता तथा विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने में सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। भारत द्वारा आजादी के बाद सात दशकों में अपने अल्पसंख्यकों व वंचित वर्ग के मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु जो कदम उठाए गए हैं, वे हमारे पड़ोसी देशों के तुलना में सराहनीय रहे हैं और पूरे विश्व के सामने उदाहरण के रूप में हैं। विविधता भरे देश में सभी को समान न्याय एवं सभी के हितों को समान संरक्षण प्रदान करना वाकई महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत में अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक सभी को समान अधिकार व व्यवस्था प्रदान की गई है। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु और उनके हितों के संरक्षण हेतु सुदृढ़ कानून व्यवस्था का निर्माण एवं विविध प्रावधान किए गए हैं। वहीं हम अपने पड़ोसी देशों से तुलना करें तो पता चलेगा कि इस परिदृश्य में हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति मानवाधिकारों के संरक्षण में सम्मानजनक नहीं रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमसे अलग हुए पाकिस्तान और फिर उससे अलग हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में है। पंजाब केसरी समाचार–पत्र के इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि ''पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मजहब के नाम पर अल्पसंख्यकों का शोषण चरम पर है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों (हिंदू–सिखों) की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ उनकी जनसंख्या विभाजन के समय 24 प्रतिशत थी जो घटकर 2 प्रतिशत से नीचे पहुँच गई है। वहीं बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) में अल्पसंख्यक 28 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत रह गई है।'' इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत से विभाजित होकर अलग हुए पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और उनकी संख्या में दिनों–दिन कमी आ रही है, जबकि इसके विपरीत भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुसंख्यक की भांति ही बेहतर हुई है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या स्वतंत्रता के समय तकरीबन 15 प्रतिशत थी जो बढ़कर 20 प्रतिशत पहुंच गई है।

भारत के एक अन्य पड़ोसी देश तथा विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र चीन में साम्यवादी सरकार की अधिनायकवादी शासन के कारण मानवाधिकारों का गला घोटा जा रहा है। वहाँ के नागरिकों एवं मीडिया को स्वतंत्र बोलने की आजादी नहीं है और अल्पसंख्यकों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं। चीन की अपेक्षा भारत में मीडिया, नागरिकों और अल्पसंख्यकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत में सभी नागरिकों को मानवाधिकार के खिलाफ आवाज उठाने एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति की पर्याप्त आजादी है। ''भारतीय अपने देश के लोकतांत्रिक ढ़ाँचे को महत्व देते हैं, उसकी बहुदलीय राजनीति, व्यवस्थित स्वतंत्र चुनावों, काफी हद तक सेंसरमुक्त मीडिया, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की पर्याप्त गांरटी और न्यायपालिका की स्वतंत्र सत्ता को, जो एक जीवंत लोकतंत्र की विशेषताएँ हैं। जो लोग भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज को लेकर अभी भी आलोचनात्मक रूख रखते हैं (और हम लोग बेशक ऐसे ही लोगों में

शामिल हैं) वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मामले में अब तक भारत जो कुछ हासिल करने में सफल हुआ है और चीन समेत दूसरे देशों ने जो कुछ हासिल कर लिया हैं, उनमें भारी फर्क है (द्रेज – सेन, 2018. पृ. 29.30)।'' इस तरह यह स्पष्ट होता है कि हमने लोकतांत्रिक राज्य के रूप में सभी नागरिकों के मानवाधिकारों और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को महत्व प्रदान किया है, जो मानवाधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

आलोचनात्मक रूप से देखें तो आजादी के बाद पिछले सात दशकों में भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विविध कदम उठाए गए हैं, जिनके परिणाम भी देखने को मिलते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हुई है। आज भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के अनेक मामले आ रहे हैं और आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्षरत है तथा सामाजिक विषमताओं का शिकार है। भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के हितों एवं मानवीय गरिमा को सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है, जिसके परिणाम भी परिलक्षित हुए हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी देश की राजधानी से लेकर एक छोटे शहर एवं गाँव तक ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पूर्ण रूप मानवाधिकारों के हनन या अन्याय पूर्ण मामले न मिलते हों।

भारत को मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन की सफलता की प्रक्रिया में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिनसे निराकरण पाने के लिए आज भी वह प्रयासरत है। यह सत्य है कि आजादी के बाद सात दशक का समय बीत जाने के पश्चात् मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कानून व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होनी चाहिए थी, उतनी नहीं है। मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के समक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां सामने आती हैं, उनमें प्रमुख हैं – भारतीय जाति व्यवस्था, न्यायिक निराकारण की प्रक्रिया का लचीलपन, आतंकवाद, आर्थिक विषमता एवं भ्रष्टाचार आदि। इन चुनौतियों का पूर्ण रूप से सामना करने में हमें कुछ असफलताएँ भी प्राप्त हुई हैं, ये बात जरूर सही है कि हम सफलता की ओर अग्रसर हैं, लेकिन हमारी गति अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं रही है। आज वैश्विकरण एवं बाजारीकरण के परिणामस्वरूप मानवाधिकारों के समक्ष चुनौतियाँ नए रूप में भी प्रस्फुटित हो रही हैं। ''भूमंडलीकरण के दौड़ में आधुनिक मानव समाज की जटिलताएँ बढ़ी हैं, जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, आर्थिक विषमताओं ने समाज के बड़े भाग को प्रभावित किया है और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन की नित नई घटनाएँ भी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही हैं (डॉ. इन्द्रमणि, 2016. 20)।'' भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में भौतिकवादी संस्कृति एवं बाजारीकरण का बोल–बाला बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है जो मानवाधिकारों के संरक्षण के समक्ष प्रमुख चुनौती है।

भारत में आज भी वर्ण एवं जातिगत भेदभाव पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। यह दुखद है कि हम अपने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव एवं सामाजिक असमानता पर प्रभावी नियंत्रण नहीं पा सकें। जाति आधारित भेदभाव की शिकार अनुसूचति जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों को आज भी अनेक प्रकार की सामाजिक विषमताओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री

डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने एक संबोधन के दौरान ''अनुसूचित जातियों के साथ भारत में हो रहे भेदभाव की तुलना दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद व्यवस्था से कर चिंता व्यक्त की थी (डॉ. इन्द्रमणि, 2016. पृ. 177)।'' शहरी क्षेत्र में सामाजिक असमानता की स्थिति में सुधार अवश्य देखने को मिलता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अभी भी अत्यंत शोचनीय है। मानवाधिकारों के समक्ष यह चुनौती स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही रही और अभी भी व्याप्त है।

आजादी के बाद से ही भारत में आर्थिक विषमता विद्यमान रही है तथा यह आज भी विद्यमान है। यह गरीब और धनी वर्ग के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। धनी वर्ग के पास संसाधनों की बहुलता है, वहीं श्रमिक व गरीब वर्ग को अपनी मूलभूल आवश्यकताओं को पूरा करने की लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। यह बात जरूर सही है कि गरीबी एवं आर्थिक असमानता मिटाने के बहुत प्रयास तो किए गए हैं, लेकिन सफलता पूर्णतः नहीं प्राप्त हुई है जो मानवाधिकारों की दृष्टि से अच्छी नहीं है। मानवाधिकारों के समक्ष यह चुनौती आरंभ से रही है आज भी इसका निराकरण नहीं मिल पाया है तथा यह चुनौती अभी भी विद्यमान है। आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियाँ भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। मानवाधिकारों के समक्ष पूर्व से चली आ रही चुनौतियाँ पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं, ये बात जरूर सही है कि उनमें कुछ हद तक सुधार आया है, लेकिन वैश्वीकरण एवं आधुनिकीकरण की इस समकालीन समय में दुनिया में अनेकों नई–नई चुनौतियाँ दिनों–दिन मानवाधिकार के समक्ष आ खड़ी हो रही हैं।

21वीं सदी मानवाधिकारों के समक्ष कई नई चुनौतियाँ पैदा कर रही है। वैश्वीकरण एवं बाजारीकरण के इस युग में भौतिक सुखों की लालसा मानव को उपभोक्तवादी संस्कृति का शिकार बना रही है, जिसके कारण व्यक्ति को अपने नैतिक मूल्यों के क्षरण की सीमा को लांघने में न कोई संकोच होता है और न ही उसके अंदर कोई पश्चाताप या ग्लानी की कोई गुंजाइश या भावना होती है। उदारीकरण के इस युग में दुनिया ने उन्नति के रास्ते को तो अपनाया है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप आतंकवाद, असंतुलित विकास, पर्यावरण प्रदूषण, जल समस्या, आधुनिक तकनीकों से लैस अस्त्र–शस्त्र में व्यापक वृद्धि और परमाणु युद्ध की संभावानएं आदि मानवाधिकारों की समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ आ खड़ी हुई हैं जो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं।

भारत जैसे विविधता भरे देश में अगर मानवता एवं मानवीय गरिमा को पूर्ण रूप से स्थापित करना है तो मानवाधिकारों को मानवता या मानवीय गरिमा की एक व्यावहारिक व सशक्त अभिव्यक्ति के रूप ढ़ालना पड़ेगा। आज मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ऐसी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों का निर्माण करने में तत्परता दिखानी पड़ेगी, जिनमें भारतीय भावना एवं संस्कृति मौलिक तत्व के रूप में हों।

आजादी के 75 वर्षों में मानवाधिकार के क्षेत्र में कई उपलब्धियों को हासिल करने के बावजूद पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे हैं तथा यह विमर्श का विषय रहा है कि मानवाधिकार एवं

नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा में पुलिस की भूमिका कितनी कारगर है।

मानवाधिकार का संरक्षण एवं संवर्धन करना किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख आवश्यकता होती है, जिनके संरक्षण का उत्तरदायित्व पुलिस प्रशासन पर होता है। भारत में आजादी के बाद से ही संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप पुलिस प्रशासन का यह दायित्व रहा है कि संविधान में विदित नागरिक स्वतंत्रताओं एवं मानवाधिकारों की सुरक्षा करें, लेकिन पिछले सात दशकों में पुलिस से संबंधित कानूनों एवं उनकी कार्यशैली में बहुत अधिक व्यापक स्तर पर परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। साथ ही पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वह राजनैतिक व्यवस्था एवं राजनेताओं के दबाव में आकर कार्य करते हैं। मानवाधिकार आयोग के समक्ष मानवाधिकार हनन से संबंधित सर्वाधिक मामले पुलिस प्रशासन के उपर ही दर्ज किए गए हैं तथा इस प्रकार अनेक उदाहरण मिल जाएँगे, जब पुलिस प्रशासन पर ही आरोप लगते हैं। समाज एवं लोगों की अपेक्षा पुलिस प्रशासन से यह होती है कि वह उनके मानवाधिकार एवं हितों को सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन उसी पर प्रश्नचिन्ह लगना मानवाधिकार एवं लोकतांत्रिक प्रणाली की दृष्टि में चिंताजनक सवाल है।

आज इस बात की आव यकता है कि मानवाधिकार के संरक्षण हेतु पुलिस बल की भूमिका पर विचार कर परिवर्तन एवं सुधार किया जाए। पुलिस की कार्यशैली को कौशल युक्त एवं दक्षता से परिपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। साथ ही उसे सहयोगात्मक बनाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों का उनके प्रति विश्वास बढ़ेगा और सहयोगात्मक दृष्टि से पुलिस कर्तव्यों का निर्वहन उचित तरीके से करने में समक्ष होगी। वैसे भारत में पुलिस सुधारों की माँग कोई नई नहीं है तथा इसके संबंध में विभिन्न समितियों का गठन भी समय–समय पर किया जाता रहा है, लेकिन व्यवस्थित सुधार नहीं किया जा सका। यह स्पष्ट है कि पुलिस की कार्यशैली एवं दक्षता के साथ ही पर्याप्त पुलिस बल की संख्या भी होनी चाहिए। साथ ही पुलिस बल में पुरूषों के अपेक्षा महिलाओं का अनुपात बहुत कम है। ''ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी) की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी केवल 8.98 प्रतिशत ही है (चौरसिया, 2020)।'' पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी पुलिस सुधार की प्रमुख आवश्यकता है। साथ ही पुलिस बल को मानवाधिकार से संबंधित प्रशिक्षण समय–समय पर प्राप्त होने चाहिए, जिससे वे अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का पूर्ण रूप से पालन कर सकें। पुलिस प्रशासन की भूमिका को अधिक कारगर बनाना लोगों के स्वतंत्र अस्तित्व व समुचित विकास में सर्वाधिक कारगर होगा। तभी भारत में मानवाधिकार सफलता की उंचाईयों को पूर्णतः छू सकेगी।

समकालीन समाज में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के विचारों को प्रतिपादित कर संरक्षित करने की आवश्यकता है। उनके विचारों में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह एवं सर्वोदय आदि मानवतावादी पक्षों की साम्यता है जो मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में सर्वाधिक कारगर प्रतीत होते हैं। साथ ही उनके विचारों में जाति, धर्म, या पंथ जैसे किसी भी प्रकार के संकुचित विचारों की जगह नहीं है तथा उन्होंने अहिंसक समाज की रचना में सर्वाधिक जोर दिया है। ''महात्मा

गांधी के संपूर्ण जीवन और चिंतन का लक्ष्य एक अहिंसक समाज की रचना करना कहा जा सकता है। मोटे तौर पर इस अहिंसक समाज के तीन मुख्य आधार माने जा सकते हैं। पहला है राजनीतिक विकेंद्रीकरण अर्थात ग्राम–स्वराज्य पर आधारित राजनीति व्यवस्था, दूसरा है आर्थिक विकेंद्रीकरण अर्थात स्वदेशी और ट्रस्टीशिप के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था और तीसरा है इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की अहिंसक पद्धति अर्थात् सत्याग्रह (आचार्य, 2003. पृ.123)।" ये आधार समकालीन समाज में मानवीय गरिमा को बनाए रखने और विकास के सामान अवसर सुनिश्चित करने की दृष्टि से सारगर्भित हैं। इसलिए गाँधीजी के विचारों की उपयोगिता मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु अत्यंत उपयोगी है।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा के साथ जीवनयापन के लिए विशेष सुविधाएँ मुहैया कराने का प्रयास किया गया तथा हर उस अमानवीय स्थिति में बदलाव लाने के लिए प्रयत्न किए गए जिनसे मानवाधिकारों को सुरक्षित एवं संबंधित किया जा सके। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु विविध प्रावधान एवं अभिकरणों की स्थापना कर मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। सदियों से व्याप्त अनेक सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करने तथा विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनके परिणामस्वरूप भारतीय समाज में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि भारत में ऐसे लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है जो मानवाधिकारों के प्रति जागरूक एवं सजग बने हैं।

भारत में मानवाधिकारों के समक्ष आज भी विविध समस्याएँ व्याप्त हैं जो मानवीय गरिमा एवं मानवता को संरक्षित करने की दृष्टि उचित नहीं हैं। पिछले साढ़े सात दशकों में मानवाधिकारों संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में जो कार्य किए गए हैं, उनकी सफलताओं और असफलताओं से सीख लेते हुए, वर्तमान और भविष्य में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रमुख कदम उठाये जाने चाहिए। पूर्व से सीख लेते हुए वर्तमान में समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप मानवाधिकारों पर विचार कर तथा प्रत्येक नागरिक के मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्य करने की आवश्यकता है। जितनी अधिक आवश्यकता मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन की है, उतनी ही लोगों को इसके प्रति जागरूक एवं सगज बनाने की भी है। तभी मानवाधिकारों को पूर्णतः सुरक्षित किया जा सकता है।

(मानवाधिकार से साभार)

संदर्भ

1. इन्द्रमणि, डॉ (2016), मानवाधिकार का वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एवं सर्वोदय दर्शन, कानपुर, सरस्वती प्रकाशन।

2. आचार्य, नंदकिशोर. (2010), मानवाधिकार की संस्कृति. बीकानेर : वाग्देवी प्रकाशन।
3. आचार्य, नंदकिशोर. (2003), मानवाधिकार के तकाजे, बीकानेर : वाग्देवी प्रकाशन।
4. द्रेज, ज्यां – सेन, अमर्त्य. (2018). भारत और उसके विरोधभास, (अनुवाद–अशोक कुमार) नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन।
5. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, (2019), रजत जयंती कार्यक्रम, स्थापना दिवस समारोह, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
6. पुंज, बलबीर. (2019, अगस्त 15), स्वतंत्रता के 72 वर्षों में हमने 'क्या खोया, क्या पाया', पंजाब केसरी।
7. शर्मा, सुभाष. (2009), भारत में मानव अधिकार, नई दिल्ली : नेशनल बुक्स ट्रस्ट।
8. गुप्त, डॉ. कैलाश नाथ – शाह, डॉ सरिता, (2012), मानवाधिकार संघर्ष, संदर्भ एवं निवारक. नई दिल्ली : अभिव्यक्ति प्रकाशन।
9. माथुर, डॉ. कृष्ण मोहन. (2000), स्वातंत्र्योत्तर भारत में मानव अधिकार नई दिल्ली : ज्ञान पब्लिशिंग हॉउस।
10. सैनी, डॉ रामधारी सिंह, (2007), समकालीन परिपेक्ष्य में मानवाधिकारों के विविध आयाम, नई दिल्ली : गगनदीप प्रकाशन।
11. जोशी, प्रो. आर. पी. (2006), मानवाधिकार एवं कर्तव्य, अजमेर : अभिनव प्रकाशन।
12. मीना, डॉ. जनक सिंह, (2015), भारत में मानवाधिकार एवं महिलाएँ, जयपुर : राजस्थान हिंदी।
13. सिंह, डॉ. के.पी. भास्कर, सुरेंद्र. (2009, जुलाई – सितंबर), मानवाधिकार संरक्षण और पुलिस, पुलिस विज्ञान पत्रिका, वर्ष 26 अंक 105।
14. सुब्रमण्यन, के. एस. (2020), अप्रैल 27), पुलिस सुधारों के बिना लोकतंत्र की सुरक्षा असंभव।
15. चौरसिया, पवन. (2020) अप्रैल 27. पुलिस सुधारों के बिना लोकतंत्र की सुरक्षा असंभव।

''देहातवालों में ऐसी कला और कारीगरी का विकास होना चाहिए, जिससे बाहर उनको पैदा की हुई चीजों की कीमत दी जा सके। जब गांवों का पूरा–पूरा विकास हो जाएगा, तो देहातियों की बुद्धि और आत्मा को संतुष्ट करने वाली कला–कारीगरी के धनी स्त्री–पुरूषों की गांवों में कमी नहीं रहेगी।''

–महात्मा गांधी, हरिजन सेवक 1946

Final PS Jul-Dec'23_feb'11 pror shiksha.qxd 11/21/2023 12:31 PM Page 42

मास मीडिया और वर्तमान युग में इसकी आवश्यकता

– रुपाली गुप्ता

संचार सूचना देने, प्राप्त करने और सूचना को साझा करने का कार्य है। संचार वर्तमान युग की महती आवश्यकता है। इसके बिना मानव के विकास की कल्पना तक करना असम्भव है। मानव जीवन का प्रारम्भ ही संचार से होता है जो दूसरों से बात करने या कुछ लिखने और सुनने अथवा पढ़ने के रूप में आकार लेता है। मजबूत संचार कौशल बच्चों को आमने–सामने तथा ऑनलाइन दुनिया दोनों में ही बातचीत करने में मदद कर सकते हैं। वर्तमान दौर में संचार के लिए तकनीकी का उपयोग जोरों पर है। हम अपनी बातचीत में मीडिया शब्द का प्रयोग आमतौर पर करते रहते हैं और इस शब्द को कई बार दूसरों से भी सुनते हैं।

मीडिया का अर्थ होता है– माध्यम। अतः जिस भी माध्यम से हम सम्प्रेषण कर सकें, जानकारी जुटा सकें और उस जानकारी को दूसरों तक पहुँचा सकें उसे मास मीडिया कहा जाएगा। आज के समय में तकनीकी साधनों का जिस प्रकार से प्रयोग बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार से सम्प्रेषण के माध्यम भी क्रमशः बढ़ रहे हैं। पहले जहाँ सम्प्रेषण के लिए समाचार पत्रों का ही प्रयोग किया जाता था आज समाचार पत्रों क साथ–साथ टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट और मोबाइल फोन का भी सम्प्रेषण के लिए भरपूर उपयोग हो रहा है।

मास मीडिया का अर्थ – जब सम्प्रेषण हेतु किसी तकनीकी माध्यम का प्रयोग किया जाता है तो वह मीडिया कहलाता है। मीडिया शब्द को कई अन्य नामों जैसे – माध्यम, जनमाध्यम तथा बहुमाध्यम के नाम से भी जाना जाता है।

आज के समय में सोशल मीडिया का विस्तार भी काफी तेजी से हो रहा है और इसमें बच्चों की मौजूदगी रफ्तार पकड़ रही है। देखा जा रहा है कि बच्चे छोटी उम्र से ही स्मार्ट फोन के आदी होते जा रहे हैं और अपना अधिक समय इन्हीं उपकरणों के साथ बिताना पसंद कर रहे हैं।

मास मीडिया के प्रकार – मास मीडिया मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं :

1.मुद्रित मीडिया (Print Media)

2.अमुद्रित मीडिया (Non-print Media)

1. मुद्रित मीडिया – मुद्रित मीडिया का अर्थ उस माध्यम से है जिसमें सूचनाओं को प्रिंट कर या छाप कर जनता तक पहुँचाया जाता है। प्रिंट सूचनाओं का स्थायी महत्व होता है। हम जब चाहें मुद्रित (लिखित) सूचना को पढ़ सकते हैं क्योंकि जब एक बार चीजें छप जाती हैं तो वह 'Black & White' में परिवर्तित हो जाती हैं और लम्बे समय तक बरकरार रहती हैं। छपित

सूचनाओं की विश्वसनीयता अधिक होती है। अच्छे ढंग से लिखी गयी सूचना शक्तिशाली होती है व लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की योग्यता रखती है। प्रिंट मीडिया कई प्रकार से छापी जाती है जैसे–

समाचार पत्र : मीडिया के इस माध्यम के द्वारा हमारे जीवन में आस–पास और देश दुनिया में जो भी घटित हो रहा है उसे जनता तक पहुँचाया जाता है। समाचार पत्र में पाठकों के लिए कॉलम लिखना संचार का एक बढ़िया साधन है। आपका कॉलम आपके तथा पाठकों के बीच सेतु की तरह कार्य करता है। इसलिए समाचार पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। उसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। यदि कॉलम लिखते समय "काल्पनिक स्टाइल" का प्रयोग किया जाये तो युवा वर्ग के लिए वह ज्यादा प्रभावशाली होता है। हमारे देश में हिन्दी में छपने वाले मुख्य समाचार पत्रों में नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान आदि शामिल हैं। इसी प्रकार अन्य भाषाओं में भी कई प्रमुख समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं।

शैक्षिक पत्रिकाएं – पत्रिकाएं कई प्रकार की होती हैं जिनमें बच्चों, बुजुर्गों एवं महिलाओं के लिए छपने वाली पत्रिकाएं शामिल हैं। इन पत्रिकाओं में मुख्य पाठक वर्ग की जरूरतों एवं रूचियों को ध्यान में रखते हुए सामग्री प्रकाशित की जाती है जैसे महिलाओं के लिए घरेलू कार्य से सम्बन्धित सूचनाएं, बच्चों के लिए मनोरंजक कहानियां अथवा छात्रों के लिए सामान्य अध्ययन के विषयों पर सूचनाएं आदि। कुछ किताबें तथा पत्रिकाएं विशेषरूप से छात्रों अथवा विद्यार्थियों के लिए भी छापी जाती हैं और उनका प्रयोग अधिकतर शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। विद्यार्थियों के लिए छपने वाली कुछ पत्रिकाओं में योजना, प्रतियोगिता दर्पण, इण्डिया टुडे, कुरूक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, द हिन्दू बुक ऑफ एडिटोरियल्स इत्यादि शामिल हैं।

2. अमुद्रित मीडिया – अमुद्रित मीडिया के माध्यम से सूचना को सुना तथा देखा जा सकता है और जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मीडिया के इस माध्यम में छपाई की जरूरत नहीं होती है इसलिए इसको अमुद्रित मीडिया कहा जाता है। इस संचार माध्यम से दी जाने वाली जानकारी व्यक्तियों पर ज्यादा असरदार होती है जो काफी लम्बे समय तक सुनने और देखने वाले पर अपना प्रभाव बनाए रखती है। अमुद्रित मीडिया के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :

टेलीविजन – टेलीविजन सूचना प्रसारण का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सूचना को दूरदराज के क्षेत्रों तथा देश–विदेशों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। टेलीविजन मनोरंजन का कार्य भी करता है। मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाय तो यह बच्चों तथा गृहणियों की पहली पसंद है। बच्चे जहाँ कार्टून देखकर प्रसन्न होते हैं वहीं महिलाएं फुर्सत के क्षणों में टेलिविजन पर विभिन्न प्रकार के धारावाहिक देखकर समय गुजारती हैं। टेलीविजन द्वारा प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस तरह से बनाए जाते हैं कि सभी आयु वर्ग के लोग इसे देख सकें। अतः कहा जा सकता है कि टेलीविजन के माध्यम से मनोरंजन तो होता ही है इसके साथ–साथ देश–विदेश की जानकारी और ज्ञानवर्धक सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं।

रेडियो : रेडियो का इस्तेमाल सूचना प्रसारण के लिए काफी लम्बे समय से किया जा रहा है। दूरदराज के क्षेत्रों तक सूचनाएं पहुँचाने का यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह व्यापक जन सम्पर्क

का भी एक अत्यंत कारगर साधन है जिसके माध्यम से मनोरंजन के साथ–साथ शिक्षण कार्य भी किया जाता है। रेडियो से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए भी विविध प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। दूरदराज के क्षेत्रो में जहां बिजली की कमी होने के कारण टेलीविजन नहीं पहुँच पाता है वहां जन संचार का मुख्य साधन रेडियो ही होता है।

चलचित्र – विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हुई प्रगति ने अध्यापकों को भी अनेक वस्तुएँ प्रदान की हैं और अगर इन वस्तुओं का सही से इस्तेमाल किया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सकारात्मक बदलाव किया जा सकता है। चलचित्र ऐसा एक माध्यम है जो अपनी जीवन्त प्रस्तुति के कारण लोगों को बहुत प्रभावित करता है। इसके अलावा डिजिटल, सोशल मीडिया आदि और भी कई प्रकार के संचार माध्यम हैं आज के समय में जिनका प्रयोग मनोरंजन के साथ ही साथ शिक्षा में भी बखूबी किया जा रहा है।

मीडिया की आवश्यकताएं : आधुनिक युग में जीवन को सुगम और समृद्ध बनाने के लिए हर क्षेत्र में तकनीकी का उपयोग जोरों पर है। इसके साथ ही साथ उपयुक्त और अद्यतन सूचनाएं प्राप्त करने के लिए मास मीडिया की भी आवश्यकता दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मीडिया की इस व्यापक्ता का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र पर भी पड़ा है। संचार माध्यमों की बढ़ती आवश्यकताओं को इन बिंदुओं के माध्यम से सटीक रूप में समझा जा सकता है :

1. मीडिया के द्वारा दिखाए गए प्रेरणास्पद कार्यक्रम या सकारात्मक खबरों से बच्चों, युवाओं और बडों को बहुत प्रेरणा मिलती है। अकसर किसी भी उल्लेखनीय व्यक्ति के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होने से लोग उससे प्रेरणा लेते हैं।
2. बच्चा जब मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसा देखता है जो उसे आन्नदित करे तो वह खुद उस कार्य को करना आरम्भ कर देता है तथा उतरोत्तर अध्ययन के द्वारा खुद ही सीख जाता है।
3. मीडिया नई–नई चीजें परोसता है जिसे देखकर बच्चे नई–नई चीजें सीखते हैं और उनको करने का प्रयास भी करते हैं। इस प्रकार मीडिया लोगों को नई चीजें सीखने में मदद करता है।
4. मास मीडिया के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग से सीखने की प्रक्रिया सरल बना दी गयी है जिससे व्यक्ति की सीखने की तत्परता बढ़ी है।
5. मास मीडिया का प्रयोग कर व्यक्ति अपने समय और सुविधा के अनुसार कभी भी सीख सकता है तथा सारी जानकारी लेकर वह दूसरों को भी दे सकता है।
6. मास मीडिया से शोध एंव परिक्षण करना सुलभ हो गया है। लोगों को जरूरत की अनेक जानकारियां घर बैठे मिल रही हैं। जाहिर है मीडिया भी विज्ञान की ही देन है और आगे वैज्ञानिक तकनीक के लिए भी आवश्यक है जिसके द्वारा नयी खोज भी की जा सकती है।

❍❍❍❍❍

चिंता महिलाओं के स्वास्थ्य की

– सुविज्ञा जैन

देश के कुल कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की बात हर साल होती है। खुल कर बताया जाता है कि आर्थिक मामले में देश की महिलाएं भेदभाव की शिकार हैं। समाज में महिलाओं को समान अधिकार न मिलने का मुद्दा दशकों से चला आ रहा है, मगर उनके स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं होती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में महिलाओं की आबादी पुरूषों से ज्यादा हो जाने के संकेत हैं। ऐसे में देश की आबादी के सबसे बड़े तबके के रूप में भी महिलाओं के स्वास्थ्य पर नजर जरूर जानी चाहिए। यह तथ्य चौकानें वाला है कि देश की हर दूसरी महिला खून की कमी से पीड़ित है और हर तीसरी महिला का 'बाडी मास इंडेक्स' कम है। कुल आबादी की एक चौथाई महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। तमाम वादों और उसके बाद दावों के बावजूद अगर यह हालत हो तो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमें सतर्क हो जाने की जरूरत है।

कई सर्वेक्षणों से उजागर होता है कि महिलाओं को पुरूषों की तुलना में कम पोषण मिलता है। इसका एक बड़ा कारण हमारी पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था को भी माना गया है। सीमित आय वाले परिवारों में बचत के दबाव में आमतौर पर लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज्यादा पोषक आहार दिया जाता है। कोरोना महामारी के पहले 'कम्प्रेहेंसिव नेशनल न्यूट्रीशन सर्वे 2019' के मुताबिक सभी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन देश के बड़े तबके को नहीं मिल पा रहा है। मगर कोरोना काल में हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए। टाटा कर्नेल इंस्टीटयूट फॉर एग्रीकल्चर ऐंड न्यूट्रीशन की एक अध्ययन के अनुसार कोरोना बंदी के समय महिलाओं के पोषक आहार में बयालीस फीसदी की गिरावट आ गई। उन्हें फल, सब्जियां और दूसरे पोषक खाद्य पदार्थ कम मिले। स्कूलों में 'मिड डे मील' जैसी योजनाएं कोरोना के चलते बंद रहने से आयरन एवं फोलिक एसिड जैसे पूरक और पोषक आहार से छात्राएं वंचित रहीं। यह एक उजागर तथ्य है कि अपने देश की महिलाओं में पोषक तत्वों में सबसे ज्यादा कमी आयरन की ही पाई जाती है। यह बात चौंकाने वाली है कि आज भी सत्तावन फीसद भारतीय महिलाएं एनीमिया यानी रक्ताल्पता का शिकार हैं।

घरेलू महिलाओं में भी कुपोषण की समस्या एक पहेली बनी हुई है। प्रत्यक्ष अनुभव है कि घरेलू महिलाएं आमतौर पर सबको खाना खिलाने के बाद में बचा हुआ खाना ही खाती हैं। भारतीय परिवेश में यह चलन उन्हें कई बार पर्याप्त और संतुलित भोजन से वंचित रखता है। इसी तरह कम उम्र में गर्भवती होने से भी शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। मसलन, नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे – 5 के मुताबिक 23.3 फीसद लड़कियों की शादी अठारह साल की उम्र के पहले ही करा दी गई। किशोरावस्था में मां बनने की दर आज भी 6.8 प्रतिशत है। कुपोषण की समस्या तो वयस्क गर्भवती

महिलाओं के साथ भी है। यह एक स्थापित तथ्य है कि गर्भावस्था में पर्याप्त पोषक तत्त्व न मिल पाने से महिला और शिशु दोनों ही लंबे समय तक कुपोषण का शिकार रहते हैं।

आजकल स्वास्थ्य विशेषज्ञ भारतीय महिलाओं में एक 'हिडन हंगर' यानी परोक्ष भूख की बात कह रहे हैं। इसका अर्थ है शरीर में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी। कई दशकों तक महिलाओं के पोषण में मुख्य ध्यान आयरन की पूर्ति पर लगाया जाता रहा। लेकिन अब विशेषज्ञ भारतीय महिलाओं में विटामिन डी, विटामिन बी12 और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी पर भी ध्यान दिला रहे हैं।

आज के सभ्य समाज में भी भारतीय महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार बन रही हैं। घरेलू हिंसा सिर्फ शरीरिक नहीं, बल्कि महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को भी गंभीर चोट पहुंचाती है। नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में 2018–21 में घरेलु हिंसा की दर 29.3 प्रतिशत थी। इतना ही नहीं, महिला स्वास्थ्य का एक और बड़ा पहलू है कि सामजिक उपेक्षा के डर से ज्यादातर महिलाएं या उनके परिवार महिलाओं की बीमारियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। आज भी पुरूषों और महिलाओं में एक जैसे रोग को समाज में अलग–अलग नजरिए से देखने का चलन है। महिलाएं खुद भी सामाजिक दबाव और घरेलु कामों में व्यवधान के डर से चिकित्सीय सलाह लेने से बचती हैं। यह बात भी छिपी हुई नहीं है कि चिकित्सा सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच भी पुरूषों की तुलना में कम है। इस बारे में विश्व आर्थिक मंच हर साल 'ग्लोबल जेंडर गैप' रिपोर्ट जारी करता है। ताजा रिपोर्ट में भारतीय महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की स्थिति यह है कि 146 देशों में अपना देश आखिरी पायदान पर रहा। खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं महिलाओं के लिए आसानी से पहुंच में नहीं हैं। कई बार अस्पतालों में महिला डाक्टर और नर्स या महिला कर्मचारी न होने से महिलाएं अस्पताल जाने से झिझकती हैं।

जागरूक तबके में अब यह भी सोचा जाने लगा है कि महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता न सिर्फ मानवता के लिहाज से तर्कसंगत है, बल्कि जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाली अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। देश की आधी आबादी होने के नाते महिलाएं कार्यबल में भी अहम भूमिका निभाती हैं। हालांकि कुछ लोग यह कुतर्क दे सकते हैं कि कार्यबल में उनकी भागीदारी कम है, लिहाजा अर्थव्यवस्था के लिहाज से श्रमबल में महिलाओं की कम भागीदारी ज्यादा असर नहीं डालती। यह कुतर्क वे ही दे सकते हैं, जो यह नहीं जानते कि देश के अंसगठित क्षेत्र में उत्पादक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी पुरषों की तुलना में कही ज्यादा दिखाई देती है। आबादी के लिहाज से चाहे देश का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र हो या कुटीर उद्योग या फिर भरा–पूरा वस्त्र उद्योग हो, असंगठित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा आमतौर महिलाएं ही संभालती हैं। अगर इतनी बड़ी महिलाओं की आबादी का स्वास्थ्य सवालों से घिरा हो, तो एक आकलन यह भी होना चाहिए कि महिलाओं का स्वास्थ्य देश के आर्थिक विकास को किस तरह प्रभावित कर रहा है।

विचार इस बात पर भी होना चाहिए कि क्या बड़ी समस्याओं की तीव्रता के सही आकलन के लिए छोटे–छोटे सर्वेक्षण पर्याप्त हो सकते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य का मामला अगर देश के समग्र जीवन के हर पहलू पर असर डाल रहा हो तो इसका आकलन करने के लिए बड़े पैमाने पर सिर्फ महिला केंद्रित शोध सर्वेक्षणों की जरूरत है। मगर अब तक जो अंदाजा लगता है उस हिसाब से महिलाओं को ध्यान में रख कर स्वास्थ्य ढ़ांचे को बेहतर करने की फौरी जरूरत दिखाई पड़ती है।

बेशक देश में स्वास्थ्य सेवाओं का एक भरा–पूरा आधारभूत ढांचा मौजूद है, लेकिन महिलाओं के स्वास्थ्य की जब तक कोई बड़ी योजना बने तक तक इतना तो किया ही जा सकता है कि उपलब्ध सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चालाया जाय। नियमित जांच के लिए प्रेरित करने का अभियान चलाना जरा भी मुश्किल नहीं है। भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वों को लेकर महिलाओं में जागरूकता बढाने का काम भी आसान है। सरकारी और गैर–सरकारी दोनों स्तरों पर उस सामाजिक सोच को बदलने की कोशिश की जा सकती है कि महिलाएं अपनी परेशानियां छुपाएं नहीं, बल्कि खुल कर बताने लगें। कम उम्र में शादी और घरेलू हिंसा संबंधी कानूनों को भी गंभीरता से लागू किया जा सकता है।

❍❍❍❍❍

''मैनें गीता के इस मुख्य शिक्षा को अच्छी तरह आत्मसात् कर लिया है कि मनुष्य इस रूप में अपने भाग्य का विधायक स्वयं है कि उसे विकल्पों में से चुनाव करने की आजादी है – इस आजादी का वह जैसे चाहे, प्रयोग करे। लेकिन, परिणाम पर उसका वश नहीं है। स्पष्ट है कि यह परिणाम ईश्वरीय नियम के अनुरूप ही होगा। यदि कर्म का परिणाम अन्य पर भी पड़ता है, जो कि पड़ता ही है, तो निश्चय ही यह नहीं कहा जा सकता कि 'स्व' अन्य सबकुछ से पृथक है।''

– महात्मा गांधी

हमारे लेखक

मनोज कुमार
शिक्षक, समाजिक विज्ञान (दिल्ली शिक्षा निदेशालय)
रा.व.मा.बाल विद्यालय मोती बाग –1
नई दिल्ली–100 021

चित्ररेखा
असिस्टेंट प्रोफेसर
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिण–पश्चिम)
घुमनहेड़ा,
नई दिल्ली –110 073

शैलेजा मिश्रा
एसोशिएट प्रोफेसर
डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन
स्वामी शुकदेवानंद कॉलेज
शाहजहांपुर
उत्तर प्रदेश – 242 001

वसीम अख्तर
रिसर्च स्कालर
डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन
स्वामी शुकदेवानंद कॉलेज
शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश – 242 001

प्रिया जौहरी
एच–105, साउथ सिटी
रायबरेली रोड
लखनऊ
उत्तर प्रदेश – 246 025

मिथिलेश कुमार
सहायक प्रोफेसर
सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र
महात्मागांधी अतंराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय
गांधी हिल्स एमजीएएचवी
पिपरी, वर्धा
महाराष्ट्र – 442 001

रूपाली गुप्ता
एसिस्टेंट प्रोफेसर
डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस
एम.एम.पी.जी. कॉलेज
सतीकुंड कनखल, कृष्णानगर
हरिद्वार
उत्तराखंड – 249 404

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

कार्यकारिणी समिति

अध्यक्ष
डा. एल. राजा

बहिर्गामी अध्यक्ष
श्री कैलाश चौधरी

उपाध्यक्ष
श्रीमती राजश्री बिस्वास
प्रो. सरोज गर्ग
प्रो. राजेश
प्रो. एस. वाई. शाह

महासचिव
श्री सुरेश खण्डेलवाल

कोषाध्यक्ष
डा. पी. ए. रेड्डी

संयुक्त सचिव
श्री मृणाल पन्त

सह–सचिव
डा. डी. उमा देवी
श्री राजेन्द्र जोशी
श्री ए. एच. खान
श्री हरीश कुमार एस.

सदस्य
सुश्री निशात फारूख
डा. आशा आर पाटिल
डा. आशा वर्मा
श्री वाई एम जनानी
श्री वाई. एन. शंकरेगोडा
डा. वी. रेघु

सहयोजित सदस्य
प्रो. अशोक भटट्‌ाचार्य
श्रीमती इन्दिरा राजपुरोहित
डा. डी. के. वर्मा

Final PS Jul-Dec'23_feb'11 pror shiksha.qxd 11/21/2023 12:31 PM Page 50

प्रौढ़ शिक्षा जूलाई-दिसंबर 2023, आर.एन.आई. 4551/57

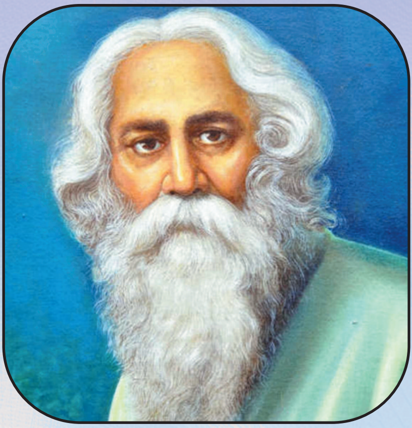

"वैयक्तिक जीवन से सामुदायिक जीवन में, सामुदायिक जीवन से विश्वजीवन में और विश्वजीवन से अनंत की ओर बढ़ना ही आत्मा की स्वाभाविक प्रगति है।"

– गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर

स्वत्वधिकारी भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के लिए सुरेश खण्डेलवाल द्वारा
17–बी, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–2 से प्रकाशित, सम्पादित और उनके द्वारा
मैसर्स – ग्राफिक वर्ल्ड, 1686, कूचा दखिनी राय, दरियागंज, नई दिल्ली–2 से मुद्रित।
सम्पादक : सुरेश खण्डेलवाल